LAKSH

Estd. 1996

ipem

Law Academy

25 YEARS

“प्रथम सूचना रिपोर्ट”

“First Information Report” (FIR)

A-13/1, South Side G.T. Road Industrial Area
NH-24 By Pass, Ghaziabad-201010

9910491474

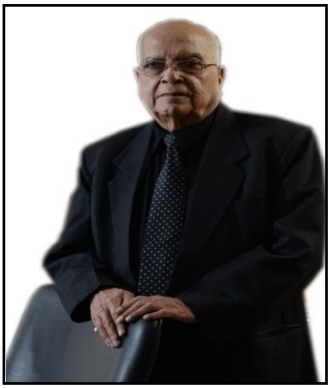

स्वर्गीय डॉ0 बी.एस. गोयल
संस्थापक

आईपीईएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की स्थापना स्वर्गीय डॉ0 बी.एस. गोयल (कार्यकारी निदेशक, आईपीईएम), के द्वारा हुई थी,जो खुद एक महान शिक्षाविद्, परोपकारी और दूरदर्शी थे। डॉ0 गोयल अपने दर्शन, क्रियात्मकता, शैक्षणिक संसाधनों और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए जाने जाते थे। डॉ0 गोयल का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा और ज्ञान का प्रसार करके ही हम भारत को आगे ले जा सकते हैं।

आईपीईएम डॉ0 गोयल के मार्गदर्शनों का अनुसरण करने के लिए जाना जाता है। औद्योगीकरण हमारे सभी शैक्षणिक प्रणालियों के साथ आंतरिक रूप से हस्तक्षेप करता है और अकादमिक कठोरता और अनुभवी हाथों के माध्यम से उम्मीदों को पूरा किया जाता है।

दो दशकों से अधिक के हमारे अनुभवों ने हमें अपने छात्रों को उच्च क्रम की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने व उत्पादों के लिए क्षमता विकसित करने में मदद की है। कॉर्पोरेट दुनिया में अकादमिक गतिविधियों या रोजगार को आगे बढ़ाने के लिये परिवर्तन सहज है। आईपीईएम में हम आपका स्वागत करते हैं और आपको क्रांति का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं।

F.I.R.
प्रथम सूचना रिपोर्ट

किसी भी अपराध की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवाने के लिए जैसे ही आप थाने में जाते हैं, तो आपको अपने साथ घटे अपराध की जानकारी देने को कहा जाता है। इसमें अपराध का समय, स्थान, मौके की स्थिति इत्यादि की जानकारी पूछी जाती है। यह सारी जानकारी डेली डायरी में लिखी जाती है जिसे रोजनामचा भी कहा जाता है। बहुत से अनजान लोग इसे ही एफआईआर समझ लेते हैं और अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाएं एफआईआर लिखवाएं और इसकी कॉपी लें, यह आपका अधिकार है। एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही और देरी के लिए भी आप जिम्मेदार अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं। एफआईआर की पहचान के लिए इस पर एफआईआर नंबर भी दर्ज होते हैं जिससे आगे इस नंबर से मामले में प्रक्रिया चलाई जा सके। अहम बात यह की FIR पंजीकृत करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती, यदि पुलिस अधिकारी इसकी मांग करता है तो तुरंत उसकी शिकायत बड़े पुलिस अधिकारियों को करें।

FIR करवाते समय इन बातों का रखें ध्यान–

एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत दर्ज करवाएं। यदि किसी कारण से देर हो जाती है तो फॉर्म में इसका उल्लेख करें। यदि शिकयत मौखिक रूप से दे रहे हैं तो थाना प्रभारी आपकी शिकायत लिखेगा और समझाएगा। कार्बनशीट से शिकायत की चार कापियां होनी चहिये। शिकायत को सरल और विशिष्ट रखें। तकनीकी के तहत जटिल

शब्दों का प्रयोग न करें। ध्यान रखें कि आपके आगमन और प्रस्थान का समय एफआईआर और पुलिस स्टेशन के डेली डायरी में अंकित हो गया है।

FIR में दें यह जानकारी

- आप किस क्षमता में जानकारी दे रहें हैं
- अपराध का दोषी कौन है
- अपराध किसके खिलाफ किया गया है
- अपराध होने का समय क्या था
- अपराध कौन सी जगह पर हुआ
- अपराध किस तरीके से हुआ
- अपराध के समय कोई गवाह थे
- अपराध से होने वाला नुक्सान

ये सभी प्रक्रिया होने पर शिकायत को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद उस पर दस्तखत कर दें। थाना प्रभारी इसे अपने रिकॉर्ड में रखेगा। शिकायतकर्ता का ये अधिकार है कि इसकी एक कॉपी उसे भी मिले। इसके लिए कोई फीस या शपथ पत्र देने की जरुरत नहीं है।

ऑनलाइन FIR

अब शिकायत करने के लिए पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं रही। आप ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के 24 घंटे के भीतर थाना प्रभारी आपको फोन करेगा जिसके बाद आप अपनी शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन ही ट्रैक कर सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आपको अपना ई–मेल और टेलीफोन नंबर भी दर्ज कराना होगा जिससे पुलिस आपको संपर्क कर सके।

आपके अधिकार

संज्ञेय (गंभीर) अपराध के मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। एफआईआर की कॉपी लेना शिकायकर्ता का अधिकार है। इसके लिए मना नहीं किया जा सकता है। संज्ञेय अपराध की एफआईआर में लिखे गए घटनाक्रम व अन्य जानकारी को शिकायकर्ता को पढ़कर सुनाना अनिवार्य है। आप सहमत हैं, तो उस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। यह जरूरी नहीं कि शिकायत दर्ज करवाने वाले व्यक्ति को अपराध की व्यक्तिगत जानकारी हो या फिर उसके सामने ही अपराध हुआ हो। एफआईआर में पुलिस अधिकारी स्वयं की ओर से कोई भी शब्द या टिप्पणी नहीं जोड़ सकता है।

- अगर आपने संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को लिखित रूप से दी है, तो पुलिस को एफआईआर के साथ आपकी शिकायत की कॉपी लगाना जरूरी है।
- एफआईआर दर्ज कराने के लिए यह जरूरी नहीं है कि शिकायत करने वाले को अपराध की व्यक्तिगत जानकारी हो या उसने अपराध होते हुए देखा हो।
- अगर किसी वजह से आप घटना की तुरंत सूचना पुलिस को नहीं दे पाएं, तो घबराएं नहीं। ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ देरी की वजह बतानी होगी।
- कई बार पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले ही मामले की जांच–पड़ताल शुरू कर देती है, जबकि होना यह चाहिए कि पहले एफआईआर दर्ज हो और फिर जांच–पड़ताल। घटना स्थल पर एफआईआर दर्ज कराने की स्थिति में अगर आप एफआईआर की कॉपी नहीं ले पाते हैं, तो पुलिस आपको एफआईआर की कॉपी डाक से भेजेगी। आपकी एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुई इस बारे में संबंधित पुलिस आपको डाक से सूचित करेगी। अगर अदालत द्वारा दिए गए समय में पुलिस अधिकारी शिकायत दर्ज नहीं करता या इसकी प्रति आपको उपलब्ध नहीं कराता या अदालत के दूसरे आदेशों का पालन नहीं करता तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के साथ उसे जेल भी हो सकती है।

FIR दर्ज नहीं करें तो करें ये काम

अगर थाना प्रमुख आपकी शिकायत की एफआईआर दर्ज नहीं करता है या मना करता है, तो आप अपनी शिकायत रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से क्षेत्रीय पुलिस उपायुक्त को भेज सकते हैं। उपायुक्त आपकी शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर सकता है। इसके अलावा एफआईआर नहीं दर्ज किए जाने की स्थिति में आप अपने क्षेत्र के मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस को दिशा–निर्देश के लिए कंप्लेंट पिटीशन दायर कर सकते हैं कि 24 घंटे के भीतर केस दर्ज कर आपको एफआईआर की कॉपी उपलब्ध करवाए। मैजिस्ट्रेट के आदेश पर भी पुलिस अधिकारी समय पर शिकायत दर्ज नहीं करता है या फिर एफआईआर की कॉपी उपलब्ध नहीं करवाता है, तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और जेल भी हो सकती है।

एफआईआर की कॉपी पर उस पुलिस स्टेशन की मुहर और थाना प्रमुख के हस्ताक्षर होने चाहिए। एफआईआर की कॉपी आपको देने के बाद पुलिस अधिकारी अपने रजिस्टर में लिखेगा कि सूचना की कॉपी शिकायतकर्ता को दे दी गई है। आपकी शिकायत पर हुई प्रगति की सूचना संबंधित पुलिस आपको डाक से भेजेगी। आपको और पुलिस को सही घटना स्थल की जानकारी नहीं है, तो भी चिंता की बात नहीं। पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर देगी। हालांकि जांच के दौरान घटना स्थल का थानाक्षेत्र पता लग जाता है तो संबंधित थाने में केस को ट्रांसफर

कर दिया जाएगा। एफआईआर दर्ज करवाने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर आपसे कोई भी एफआईआर दर्ज करवाने के नाम पर रिश्वत, नकद की मांग करे, तो उसकी शिकायत करें।

FIR लिखने का तरीका

- हम सभी को कभी न कभी FIR लिखाना ही पड़ जाता है चाहे खुद के लिये या किसी जानने वाले के लिये। अक्सर लोगो की शिकायत होती है कि उनकी FIR थाने में नहीं लिखी गई, या फिर मजिस्ट्रेट के यहाँ FIR के लिये किया गया आवेदन निरस्त हो गया। इसके तो कई कारण होते है किंतु एक कारण ये भी होता है कि आपके लिखने का तरीका गलत हो। FIR को कम से कम शब्दों में स्पष्ट और पूरे मामले को लिखना चाहिये क्योंकि न्यायालय में आपका केस इसी आधार पर चलता है । आसान भाषा में FIR को लिखने का तरीका-

(1) कब (तारीख और समय)– FIR में आप घटना के समय और तारीख

(2) कहा (जगह)– घटना कहाँ पे हुई इसकी जानकारी दे।

(3) किसने –अपराध किस व्यक्ति ने किया (ज्ञात या अज्ञात) एक या अनेक ब्यक्ति उसका नाम पता आदि लिखे।

(4) किसको – किस के साथ अपराध किया गया एक पीड़ित है या अनेक उनसब का नाम व पता।

(5) किसलिये – यह एक मुख्य विषय होता है इसीसे यह पता चलता है कि कोई कार्य अपराध है या पुरस्कार देने के लायक कार्य है, इसको निम्न प्रकार समझ सकते हैं। जैसे– क एक ब्यक्ति ख पर गोली चला देता है और ख की मृत्यु हो जाता है, क यहाँ पर दोषी होगा।

(6) किसके सामने (गवाह)– अगर घटना के समय कोई मौजूद हो तो उनकी जानकारी अवश्य देनी चाहिये।

(7) किससे (हथियार) – अपराध करने के लिए किन हथियार का प्रयोग किया गया (पिस्तौल , डंडे, रॉड, चौन , हॉकी, ईट) अगर कोई धोखाधड़ी का मामला है तो आप (स्टाम्प पेपर, लेटरहेड, इंटरनेट , मोबाइल, आदि,) जानकारी जरूर प्रदान करे।

(8) किस प्रकार – क्या प्रकरण अपनाया गया अपराध् करने के लिये उसको लिखे।

(9) क्या किया (अपराध)– इनसभी को मिलकर क्या किया गया जो की अपराध होता है उसको लिखे।

इस प्रकार आप सब आसानी से FIR को लिख सकते है ।

अन्य जानकारी :

- FIR आप जहाँ घटना हुई है उसके आलावा भी भारत के किसी भी थाने में जाकर आप FIR लिखा सकते है।
- FIR न लिखे जाने के कई कारण होते है, मुख्यतः क्राइम रेट अधिक न हो इस कारण नहीं लिखी जाती है (जो की गैर कानूनी कारण है) । दूसरा कारण अपराध की सत्यता पर शक होता है जिस कारण पुलिस FIR लिखने से पहले जाँच करना चाहते है।
- FIR लिखवाना आपका अधिकार है (धारा–154 CrPC), अगर थाने में आप की FIR नहीं लिखी जाती है तो आप उनके ऊपर के किसी भी अधिकारी (CO,SP, SSP) से आप FIR लिखने के लिये बोल सकते है। वह 1 या 2 दिन जाँच के लिये लेकर संबंधित थाने में FIR लिखने के लिये निर्देश दे देंगे।

About the Law Academy

IPEM Law Academy (NAAC Accredited) affiliated to Chaudhary Charan Singh University, Meerut and approved by the Bar Council of India, offers LLB (3Yrs) and BALLB (5Yrs) Courses. In the course of their studies, the Students are encouraged to Visit Parliament, Courts, to participate in Workshops, Guest Lectures and Moot Court Competition, Seminars and Other Scholastic and Non-Scholastic Activities. The IPEM Law Academy is located at NH-24 Bypass (near Vijay Nagar, Ghaziabad) adjoining East Delhi, Noida &Greater Noida (West). It is well connected by all modes of public transport also. It has spacious self contained campus spread over five acres of land. The infrastructure and layout of the academy are planned in such a congenial manner that it is learner's paradise.

IPEM Law Academy was established in 2005 to impart legal education as a growing area of knowledge. It is a centre for learning, where full encouragement is given to the scholars to become futuristic in their approach and endorse the qualities of being legal professionals of tomorrow. The Institute provides a good learning environment combined with the teaching pedagogy. The Faculty is highly educated in their respective fields and subjects. There is a regular feedback system in which the students provide the Feedback directly to the governing body. The Campus has congenial ambience, conducive to learning and education and to excel in chosen field.

:: LOCATION MAP ::

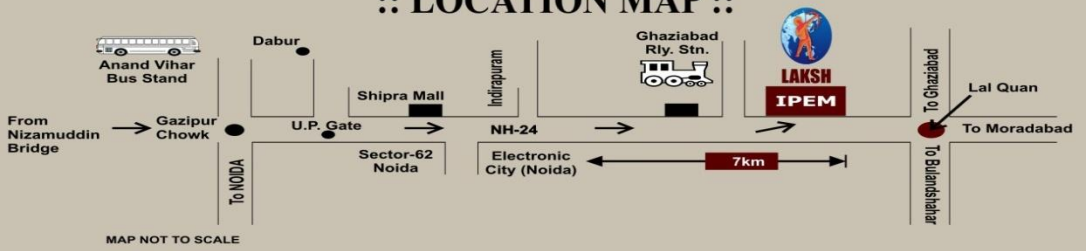

IPEM Law Academy

A-13/1, S.S.G.T. ROAD INDUSTRIAL AREA, NH-24, GHAZIABAD-201010

+91-9910491474/72, Email- info@ipemgzb.ac.in, Website: www.law.ipemgzb.ac.in

LAKSH

Estd. 1996

ipem Law Academy

25 YEARS

"विधिक सहायता एवं सामान्य कानूनों की जानकारी"
"Knowledge of Legal Aid and General Laws"

"उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम"
"Consumer Protection Act"

"सूचना का अधिकार"
"Right to Information"
(R.T.I)

"भारत में तलाक के नियम व कानून से जुड़ी जानकारी"
"Information Related to the Rules and Laws of Divorce in India"

A-13/1, South Side G.T. Road Industrial Area
NH-24 By Pass, Ghaziabad-201010
9910491474

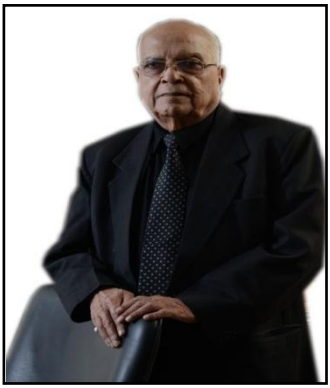

स्वर्गीय डॉ0 बी.एस. गोयल
संस्थापक

आईपीईएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की स्थापना स्वर्गीय डॉ0 बी.एस. गोयल (कार्यकारी निदेशक, आईपीईएम), के द्वारा हुई थी,जो खुद एक महान शिक्षाविद्, परोपकारी और दूरदर्शी थे। डॉ0 गोयल अपने दर्शन, क्रियात्मकता, शैक्षणिक संसाधनों और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए जाने जाते थे। डॉ0 गोयल का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा और ज्ञान का प्रसार करके ही हम भारत को आगे ले जा सकते हैं।

आईपीईएम डॉ0 गोयल के मार्गदर्शनों का अनुसरण करने के लिए जाना जाता है। औद्योगीकरण हमारे सभी शैक्षणिक प्रणालियों के साथ आंतरिक रूप से हस्तक्षेप करता है और अकादमिक कठोरता और अनुभवी हाथों के माध्यम से उम्मीदों को पूरा किया जाता है।

दो दशकों से अधिक के हमारे अनुभवों ने हमें अपने छात्रों को उच्च क्रम की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने व उत्पादों के लिए क्षमता विकसित करने में मदद की है। कॉर्पोरेट दुनिया में अकादमिक गतिविधियों या रोजगार को आगे बढ़ाने के लिये परिवर्तन सहज है। आईपीईएम में हम आपका स्वागत करते हैं और आपको क्रांति का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं।

आई पी ई एम के बारे में–

आई पी ई एम ग्रुप, की स्थापना सन 1996 में स्वर्गीय डॉ0 बी एस गोयल के द्वारा हुए थी यह लक्ष एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वावधान में, सोसाइटी अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है, एक प्रतिष्ठित ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के रूप में अपनी प्रतिष्ठा का निर्माण जारी रखता है और अब प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, कानून और शिक्षा के क्षेत्रों में विभिन्न पाठ्यक्रमों को परिचालित करता है।

आई पी ई एम भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गाजियाबाद में स्थित है। 1996 में स्थापित, यह संस्थान NAAC, BCI, NCTE, AICTE से मान्यता प्राप्त और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध है। IPEM गाजियाबाद **5 संकायों** (प्रबंधन, आईटी, कानून, शिक्षा, वाणिज्य और बैंकिंग) में **9 पाठ्यक्रम** जिसमें **6 यूजी डिग्री** जैसेः बीबीए, बीकॉम, बीसीए, बीएएलएलबी, एलएलबी, बीएड, **दो पीजी डिग्री** जैसेः एमबीए, एमसीए और **एक डिप्लोमा** डीएलएड प्रदान करता है।

Hostel की सुविधा भी छात्रों के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त परिसर सुविधाएं जैसे कि ऑडिटोरियम, कैंटीन, कंप्यूटर लैब, मेस, लाइब्रेरी, मेडिकल सुविधाएं, कैम्पस प्लेसमेंट भी है।

आई पी ई एम NCR में एक उच्च प्रतिष्ठित संस्थान है। वर्ष 1996 में स्थापित, यह विश्व स्तर की शिक्षा प्रदान करने का एक शानदार उदाहरण है। IPEM में, हम सह–पाठयक्रम गतिविधियों को समान महत्व देते हैं, क्योंकि वे हमारे व्यक्तित्व को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यही कारण है कि संस्थान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है।

मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (MCA) पाठ्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा अनुमोदित और अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (AKTU), लखनऊ से संबद्ध हैं। बैचलर ऑफ कामर्स (बी.कॉम), बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए), बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए), बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित बैचलर ऑफ लॉ (एलएलबी 3 वर्ष) और बीएएलएलबी (5 वर्ष), राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा अनुमोदित बैचलर ऑफ एजुकेशन (B-Ed), सभी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से संबद्ध हैं। और प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (D-El-Ed) कार्यक्रम NCTE द्वारा अनुमोदित किया गया है, एससीईआरटी, भारत में संपूर्ण शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए एक शीर्ष निकाय है।

आई पी ई एम लॉ अकादमी के बारे में–

आई पी ई एम लॉ एकेडमी NAAC मान्यता प्राप्त और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से संबद्ध और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित है। IPEM लॉ एकेडमी LL.B (3 वर्ष) और B.A.LL.B (5 वर्ष) पाठ्यक्रम प्रदान करता है। 2005 में LL.B (3 वर्ष) पाठ्यक्रम 180 सीटों के साथ और B.A.LL.B (5 वर्ष एकीकृत) पाठ्यक्रम 120 सीटों के साथ पेश किया गया था। हम 2020–21 सत्र से B.Com.LL.B भी शुरू करने जा रहे हैं। आईपीईएम लॉ एकेडमी में एक विशाल स्व–निहित परिसर है जो पाँच एकड़ भूमि में फैला हुआ है। अकादमी के बुनियादी ढाँचे और लेआउट की योजना इस तरह से बनाई गई है कि यह एक शिक्षार्थी का स्वर्ग है। पूर्वी दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा (पश्चिम) से सटे NH-24 बायपास (विजय नगर, गाजियाबाद) पर स्थित, आईपीईएम लॉ एकेडमी सार्वजनिक परिवहन के सभी साधनों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।

अपनी पढ़ाई के दौरान, छात्रों को कार्यशालाओं, Guest Lecture और Moot Court प्रतियोगिता, सेमिनार और अन्य शैक्षिक और गैर–शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए तथा संसद, न्यायालयों का दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

LL.B (3 वर्ष) – BA.LL.B (5 वर्ष) के पाठ्यक्रम को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (कॉलेज कोड –409) से संबद्ध किया गया है, जो कानून में डिग्री के साथ एक व्यक्ति को सक्षम बनाता है, कि वह खुद को पंजीकृत वकील के रूप में अभ्यास करें, नौकरी प्राप्त करे या फिर उच्च अध्ययन के लिए आगे जाये।

कानून का ज्ञान प्रदान करने के अलावा, आईपीईएम में प्रैक्टिकल के लिए बहुत जोर दिया जाता है। छात्रों को उनके दृष्टिकोण में भविष्यवादी बनने और अपने पेशे में अच्छे पेशेवर 'होने की गुणवत्ता का समर्थन करने के लिए पूर्ण प्रोत्साहन दिया जाता है। कानून के छात्रों को शिक्षा, न्यायिक सेवा, वकालत, कानून परामर्श, विधि अधिकारी, कानूनी सलाहकार, सशस्त्र बल, रियल एस्टेट, और मीडिया में कानूनी संवाददाताओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर के विकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और प्रतिष्ठित कानून फर्मों में रखा जाता है। इन के अलावा, कानून स्नातकों को रोजगार के अन्य क्षेत्रों में भी नियोक्ताओं द्वारा अधिक उपयुक्त और पसंदीदा माना जाता है। जिसमें पिछले कई वर्षों से सौ प्रतिशत परिणामों के साथ इस कोर्स को सफलतापूर्वक चलाने का अनुभव है।

आई पी ई एम निःशुल्क विधिक सलाह केंद्र'

स्वास्थ्य एवम स्वच्छ पर्यावरण मानव जीवन का आधार है, भाईचारा व प्रेम से जीवन यापन करना मानव जीवन का मूल मंत्र है। आज के समाज में मनुष्य अपने मानवीय, नैतिक,सामाजिक मूल्यों और आदर्श के पथ से दूर होता जा रहा है, ईश्वर से विरक्त होकर आधुनिकता का जामा ओढ़कर नियम–कानून को अपने हाथ का खिलौना समझने लागा है, जिस की शिकार हो रही है, हमारी निरक्षर, अज्ञानी निर्धन, भोली–भाली जनता जिसको कानून का ज्ञान नहीं है। अदालत के दरवाजे पर दस्तक देने से ये जनता डरती है क्योंकी इतना खर्चा कहाँ से आये।

उत्कृष्टता के लिए प्रयास कभी भी एक आकस्मिक और सहज घटना नहीं हो सकता है। इसे मूल व्यक्तित्व ढांचे में संलग्न करना होगा जहां यह एक दृढ़ आदत के रूप में रहता है। हम IPEM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में इन बुनियादी बातों के लिए जीवित हैं और यह हमारे प्रयास इन क्षेत्रों में परिलक्षित होते है जो विश्व स्तर की प्रबंधन शिक्षा, मानव गतिशीलता पर मूल्य–आधारित शिक्षा, समय और संसाधनों के रूप में अनुकूलन के लिए एक वातावरण बनाने के लिए हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के लिए हमारा प्रतिमान समवेत प्रबंधकों और पेशेवरों को बनाना है, जिनके पास घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता है। आईपीईएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मूल्य आधारित प्रबंधकों, टेक्नोक्रेट और पेशेवरों को प्रदान करके उद्योग और समाज की सेवा के लिए प्रयास करते हैं।

हमारा उददेश्य पेशेवर का उत्पादन करना है जो भविष्य में समाज को आगे बढ़ाएगा।

इस सन्दर्भ में आई.पी.ई.एम. लॉ अकेडमी में '**निःशुल्क विधिक सलाह केंद्र**' की स्थापना फरवरी 2010 को की गयी, जिसका उद्घाटन माननीय जिला एवम सत्र न्यायाधीश श्री वी.सी गुप्ता के कर कमलो से सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन भी किया गया। वर्तमान परिवेश में हर नागरिक को विधितंत्र का ज्ञान होना आवश्यक है।

विधिक सलाह एवम् सहायता केंद्र का उददेश्य :–

१ गरीब व जरुरतमंदो को निशुल्क विधिक सलाह उपलब्ध करना।

२ विधिक साक्षरता का प्रचार।

३ विधिक सहायता उपलब्ध करना– जो लोग गरीबी की वजह से कोर्ट मे जाने से डरते है क्योकि उनके पास न तो कोर्ट फीस देने के लिए पैसे है और न ही अधिवक्ता की फीस, ऐसे लोगो को निशुल्क वाद लड़ने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता उपलब्ध कराना।

४ आम जनता को यह सलाह देना की वे अपने मतभेदो को आपसी सहमति व भाईचारे से निपटने तथा लोक अदालतों का लाभ उठाए ।

५ उपरोक्त कार्यो के लिए अधिवक्ताओ का एक पैनल तैयार करना।

६ विधि के छात्र / छात्राओं में पढ़ाई के दौरान ही एक अच्छे अधिवक्ता के गुणों को विकसित करना।

विधिक सलाह एवम सहायता कैसे प्राप्त करे :–

यदि आप किसी ऐसी समस्या से ग्रसित है। जिससे आपको विधिक सलाह एवम सहायता की जरूरत है। निःसंकोच आप आई पी ई एम् लॉ अकेडमी मे विधिक सलाह और सहायता केंद्र आकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते है। आई पी ई एम् ला अकेडमी में विधिक सलाह और सहायता के लिये प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को दोपहर बाद ०१:०० बजे से ०४:०० बजे तक संपर्क स्थापित कर सकते है। निशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता केंद्र मे आपका स्वागत है। इस केंद्र मे समय समय पर विधि विशेषज्ञो द्वारा परामर्श प्रदान किया जाता है। यहाँ पर पत्र लिखकर भी आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है।

धन्यवाद ।

भारत में मुफ्त विधिक सहायता की शुरूआत–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ए में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है और गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानून सहायता की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 22 (1) के तहत राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करे। समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को सक्षम विधि सेवाएं प्रदान करने के लिए एक तंत्र की स्थापना करने के लिए वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पास किया गया। इसी के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन किया गया। इसका काम कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना और उसका मूल्यांकन एवं निगरानी करना है। साथ ही, इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना भी इसका काम है।

हमारे देश में हजारों लोग ऐसे हैं जो अदालत में वकील की सेवा नहीं ले पाते हैं। इसका अर्थ है कि इस प्रकार के लोग न्याय प्रणाली तक सही रूप से नहीं पहुंच पाते हैं। पीडित व्यक्ति के लिए तो प्रायः सरकार की ओर से सरकारी वकील के रूप में कानूनी मदद मिल जाती है किंतु आरोपी व्यक्ति को कानूनी मदद के लिए अपना स्वयं का वकील करना पड़ता है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार जब तक कोई व्यक्ति दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वह अपराधी घोषित नहीं होता है। इस प्रकार जिस पर आरोप लगा है, उसे दोषी नहीं माना जा सकता है जब तक कि दोषसिद्ध ना हो जाये। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति हिरासत में है तो यह अदालत की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि अदालत में उसका वकील हो, चाहे वह अभियोजन पूर्व या अभियोजन के चरण में हो। जब अदालत में कोई व्यक्ति पेश किया जाता है तो अदालत

यह सुनिश्चित करती है कि क्या उसका कोई वकील है या नहीं। यदि वह वकील करने में सक्षम नहीं है तो अदालत सरकार के खर्चे पर उसके लिए तत्काल एक वकील नियुक्त करती है।

1952 से भारत सरकार ने विभिन्न कानून मंत्रियों तथा विधि आयोगों की बैठकों में गरीबों के लिए कानूनी सहायता के प्रश्न को संबोधित करना शुरू कर दिया था। 1960 में सरकार द्वारा कानूनी सहायता योजनाओं के लिए कुछ दिशा–निर्देश तैयार किये गये। विभिन्न राज्यों में कानूनी सहायता बोर्ड, सोसाइटियों और विधिक विभागों के माध्यम से कानूनी सहायता योजनाएँ शुरू की गईं। 1980 में पूरे देश में कानूनी सहायता कार्यक्रम के निगरानी और निरीक्षण के लिए जस्टिस पी. एन. भगवती की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय–स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति को सी.आई.एल.एस. (कमेटी फॉर इम्पिलिमेंटिंग लीगल एड स्कीम्स) के नाम से जाना जाता है और इसने अपने गठन के साथ ही पूरे देश में कानूनी सहायता गतिविधियों पर निगरानी का काम शुरू कर दिया था। इस तरह देश की न्याय व्यवस्था प्रणाली में लोक अदालतों का एक नया अध्याय जोड़ा गया और इसके माध्यम से विवादित पक्षों को अपने मामले सुलहनामे के माध्यम से सुलझाने का एक मंच प्रदान करने में सफलता हासिल हुई।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (निशुल्क विधिक सहायता कानून)

वर्ष 1987 में संसद ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया जिसने विभिन्न स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण का निर्माण किया ताकि समाज के कमजोर तबकों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा प्राप्त हो सके जिससे यह सुनिश्चित हो कि आर्थिक या अन्य असमर्थता के कारण कोई भी नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न हो।

यह कानून निःशुल्क विधिक सहायता को मूर्तरूप देता है। यह कानून ऐसे व्यक्ति जो निर्धनता या जाति, पंथ या लिंग संबंधी संवेदनशीलता के कारण कोई मामला दर्ज करने या मामले का बचाव करने के लिए एक वकील की सेवा लेने में समर्थ नहीं हैं, को कानूनी सहायता प्रदान करता है ताकि न्यायालय में उन्हें भी वकील की सेवा मिल सके।

यह अधिनियम विभिन्न स्तरों पर विधिक सेवा संस्थान स्थापित करता है, जो इस प्रकार है–

- केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) है। राष्ट्रीय प्राधिकरण उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन करता है।
- राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सालसा) है। राज्य प्राधिकरण राज्य के उच्च न्यायालय के लिए उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा प्रत्येक तालुक के लिए तालुक विधिक सेवा समिति गठित करता है।
- जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा समिति होती है।

निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार-

1987 के अधिनियम की धारा 12 अनुसार निम्नलिखित लोग कानूनी सहायता पाने के हकदार हैं–

- महिलाएं और बच्चे
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य
- औद्योगिक श्रमिक
- बड़ी आपदाओं, हिंसा, बाढ़, सूखे, भूकंप और औद्योगिक आपदाओं के शिकार लोग
- विकलांग व्यक्ति
- हिरासरत में रखे गए लोग
- ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 100,000 रुपए (उत्तर प्रदेश के अनुसार) से अधिक नहीं है
- बेगार या अवैध मानव व्यापार के शिकार।

निःशुल्क कानूनी सहायता कैसे प्राप्त करें?

- कोई भी व्यक्ति जो की उपरोक्त में से एक है निःशुल्क कानूनी सहायता पाने के लिए अपने नजदीकी प्राधिकरण, समिति और विधिक सेवा केंद्र में लिखित प्रार्थना पत्र या फिर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गए फॉर्म से आवेदन कर सकता है।

- अगर व्यक्ति लिखने में सक्षम नहीं है, तो वह मौखिक माध्यम से अपना आवेदन कर सकता है, प्राधिकरण में मौजूद अधिकारी उस व्यक्ति की बातों को आवेदन पत्र में लिखेगा।

- माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने कहा है कि व्यक्ति की गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस का यह अनिवार्य जिम्मेदारी है कि नजदीकी विधिक सहायता केंद्र में इसकी जानकारी दी जाये जिससे की समय रहते अभियुक्त की कानूनी सहायता की जा सके।

- इसके अलावा आप ''राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण'' जिसे हम नालसा भी बुलाते हैं की वेबसाइट पर जा कर देश के किसी भी ''विधिक सेवा संस्थान व प्राधिकरण'' से कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए ''ऑनलाइन एप्लीकेशन'' फॉर्म जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करके भर सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज

- अगर हम जरुरी दस्तावेजों की बात करें तो मुख्य रूप से आपके पास एक घोषणा पत्र होना चाहिए जिसके साथ में आपका वार्षिक आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र हो।
- बाकी दस्तावेज आपके केस पर निर्भर करेंगे।
- ध्यान रहे यह कागजात विधिक सेवा केंद्र या प्राधिकरण में भी ले जाना और दिखाना जरूरी है।

किस प्रकार की कानूनी सहायता दी जाएगी?

- आपके लिए एक वकील नियुक्त किया जायेगा।
- कोर्ट की कार्यवाही में जो भी खर्च होगा वह दिया जायेगा, जैसे की कोर्ट फीस आदि।
- कोर्ट के आदेशों की प्रति एवं अन्य दस्तावेज जो भी न्यायालय की कार्यवाही से जुड़े होंगे आपको उपलब्ध कराये जायेंगे।
- आपके मामले से सम्बन्धी कागजों को तैयार व प्रिंट कराया जायेगा।
- आपके लिए आपकी भाषा में कोर्ट के आदेशों को अनुवादित भी किया जायेगा आदि।

निम्नलिखित मामलों में कानूनी सहायता नहीं मिलेगी।

- मानहानि,
- द्वेषपूर्ण अभियोजन,
- अदालत की अवमानना
- झूठे साक्ष्य इत्यादि पर आधारित मामले।
- किसी भी चुनाव से सम्बंधित कोई कार्यवाही।
- ऐसे मामले जहाँ पर दण्ड की आर्थिक राशि 50/– रुपये से कम है।
- ऐसे अपराध के मामले जो कि आर्थिक और सामाजिक कानून के खिलाफ हैं। जैसे की ATM से पैसे चोरी करना,
- राज्य सम्पदा को नुकसान पहुँचना इत्यादि।
- आवेदक व्यक्ति मामले से सम्बंधित ही नहीं हैं।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 6 के तहत किया गया था। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

पैट्रन–इन–चीफ हैं, जबकि वरिष्ठ / सिटिंग जज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं।

उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में अपनी उप समिति के साथ इलाहाबाद में उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति, 71 जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण और 300 तहसील कानूनी सेवा समितियों का गठन अधिनियम के तहत किया गया है। डिस्ट्रिक्ट जज अध्यक्ष हैं जबकि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रैंक के एक ज्यूडिशियल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सेक्रेटरी हैं। जिला के वरिष्ठ सिविल जज जिला विधिक सेवा समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं और तहसीलदार तहसील विधिक सेवा समिति के सचिव होते हैं।

मध्यस्थों की सहायता से विवादों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद और लखनऊ में दो मध्यस्थता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में, न्यायालय ने मध्यस्थता केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य के सभी 71 जिलों / सत्र प्रभागों में कार्यशील हो गए हैं। विवादों को निपटाने के साथ–साथ कानूनी प्रणाली के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए संगोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं।

यदि किसी भी विभाग या किसी भी संगठन सहित कोई भी पूर्व मुकदमेबाजी या किसी न्यायालय या प्राधिकरण में लंबित मामलों का निपटारा करना चाहता है, तो लोक अदालतों के माध्यम से आपसी समझौता या विभागीय लोक अदालत सहित आपसी सुलह या विभागीय विवादों का निपटारा कर सकता है।

संपर्क करें: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तीसरी मंजिल, जवाहर भवन एनेक्सी, लखनऊ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संबंधित जिले में सिविल कोर्ट परिसर।

उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति, उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

उच्च न्यायालय कानूनी सेवा उप समिति, लखनऊ बेंच लखनऊ।

संबंधित तहसील में तहसील विधिक सेवा समिति।

वेब साइटः upslsa-up-nic-in

ई–मेलः upslsa@nic.in

फोन 0522–2286395, 2286260, 2286265

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

Ghaziabad Legal Services Office Address

Address- Near Collectorate, Sector 15, Sector 10, Raj Nagar, Ghaziabad,

Uttar Pradesh- 201001

Phone- 0120 275 4719

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

उपभोक्ता (ग्राहक) संरक्षण अधिनियम, 2019 उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक कानून है। देश भर में उपभोक्ता (ग्राहक) अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित उपभोक्ता शिकायतों को हल करने के लिए यह अधिनियम बहुत जरूरी है। इसके पास उपभोक्ता शिकायतों को तेजी से हल करने के तरीके और साधन हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है?

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 का मूल उद्देश्य, उपभोक्ताओं की समस्याओं को समय पर हल करने के लिए प्रभावी प्रशासन और जरूरी प्राधिकरण की स्थापना करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।

उपभोक्ता की परिभाषा : उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो दोबारा बेचने के लिए किसी वस्तु को हासिल करता है या लाभ के उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके, नेट से सामान खरीदना, मल्टी लेवल मार्केटिंग या सीधे खरीद के जरिए किया जाने वाला सभी तरह का ऑफलाइन या ऑनलाइन लेनदेन शामिल है।

उपभोक्ताओं के अधिकार : बिल में उपभोक्ताओं के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा जो जीवन और संपत्ति के लिए जोखिमपरक हैं।

2. वस्तुओं या सेवाओं की क्वालिटी, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और मूल्य की जानकारी प्राप्त होना।

3. प्रतियोगी मूल्यों पर वस्तु और सेवा उपलब्ध होने का आश्वासन देना।

4. अनुचित व्यापार की स्थिति में मुआवजे की मांग करना।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी : केंद्र सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनका संरक्षण करने और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अथॉरिटी (सीसीपीए) का गठन करेगी। यह अथॉरिटी उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को रेगुलेट करेगी। महानिदेशक की अध्यक्षता में सीसीपीए की एक अन्वेषण शाखा (इनवेस्टिगेशन विंग) होगी, जो ऐसे उल्लंघनों की जांच या इनवेस्टिगेशन कर सकती है।

उपभोक्ता कानून निम्नलिखित कार्य करेगी:

1. उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच, इनवेस्टिगेशन और उपयुक्त मंच पर कानूनी कार्यवाही शुरू करना,

2. जोखिमपरक वस्तुओं को रीकॉल या सेवाओं को विदड्रॉ करने के आदेश जारी करना, चुकाई गई कीमत की भरपाई करना और अनुचित व्यापार को बंद कराना, जैसा कि बिल में स्पष्ट किया गया है,

3. संबंधित ट्रेडर /मैन्यूफैक्चरर/एन्डोर्सर/एडवरटाइजर/पब्लिशर को झूठे या भ्रामक विज्ञापन को बंद करने या उसे सुधारने का आदेश जारी करना,

4. जुर्माना लगाना, और

5. खतरनाक और असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं के प्रति उपभोक्ताओं को सेफ्टी नोटिस जारी करना।

उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन: जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशनों (सीडीआरसीज) का गठन किया जाएगा।

एक उपभोक्ता निम्नलिखित के संबंध में आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है :

1. अनुचित और प्रतिबंधित तरीके का व्यापार,
2. दोषपूर्ण वस्तु या सेवाएं,
3. अधिक कीमत वसूलना या गलत तरीके से कीमत वसूलना, और
4. ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को बिक्री के लिए पेश करना, जो जीवन और सुरक्षा के लिए जोखिमपरक हो सकती हैं।

अनुचित कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ शिकायत केवल राज्य और राष्ट्रीय सीडीआरसीज में फाइल की जा सकती हैं। जिला सीडीआरसी के आदेश के खिलाफ राज्य सीडीआरसी में सुनवाई की जाएगी। राज्य सीडीआरसी के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय सीडीआरसी में सुनवाई की जाएगी। अंतिम अपील का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होगा।

उपभोक्ता कानून–

- जिला सीडीआरसी उन शिकायतों के मामलों को सुनेगा, जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत **एक करोड़ रुपए** से अधिक न हो।
- राज्य सीडीआरसी उन शिकायतों के मामले में सुनवाई करेगा, जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत **एक करोड़ रुपए से अधिक हो, लेकिन 10 करोड़ रुपए से अधिक न हो।**
- **10 करोड़ रुपए से अधिक** की कीमत की वस्तुओं और सेवाओं के संबंधित शिकायतें राष्ट्रीय सीडीआरसी द्वारा सुनी जाएंगी।
- **उत्पाद की जिम्मेदारी (प्रोडक्ट लायबिलिटी):** उत्पाद की जिम्मेदारी का अर्थ है, उत्पाद के मैन्यूफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर या विक्रेता की जिम्मेदारी। यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह किसी खराब वस्तु या दोषी सेवा के कारण होने वाले नुकसान या चोट के लिए उपभोक्ता को मुआवजा दे। मुआवजे का दावा करने के लिए उपभोक्ता को बिल में स्पष्ट खराबी या दोष से जुड़ी कम से कम एक शर्त को साबित करना होगा।

दंड एवं उपचार का प्रावधान

- अगर कोई व्यक्ति जिला, राज्य या राष्ट्रीय आयोगों के आदेशों का पालन नहीं करता तो उसे कम से कम एक महीने और अधिकतम तीन वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है या उस पर कम से कम 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है जिसे एक लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है या उसे दोनों सजा भुगतनी पड़ सकती है।
- झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के लिए बनाने वाले पर 10 लाख रुपए तक का दंड लगाया जा सकता है और अधिकतम दो वर्षों का कारावास भी हो सकता है। इसके बाद अपराध करने पर यह जुर्माना बढ़कर 50 लाख रुपए तक हो सकता है और सजा पाँच वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। दोषी को दण्ड और जुर्माने दोनों से दण्डित भी किया जा सकता है।
- यह कानून भ्रामिक विज्ञापनों पर भी रोक लगा सकता है। हर बार अपराध करने पर प्रतिबंध की अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

- यह कानून मिलावटी उत्पादों की मैन्यूफैक्चरिंग, बिक्री, स्टोरिंग, वितरण या आयात के लिए भी दंड लगा सकती है। ये दंड निम्नलिखित हैं: (1) अगर उपभोक्ता को क्षति नहीं हुई है तो दंड एक लाख रुपए तक का जुर्माना और छह महीने तक का कारावास हो सकता है, (2) अगर क्षति पहुँची है तो दंड तीन लाख रुपए तक का जुर्माना और एक वर्ष तक का कारावास हो सकता है, अगर गंभीर चोट लगी है तो दंड पाँच लाख रुपए तक का जुर्माना और सात वर्ष तक का कारावास हो सकता है, (3) मृत्यु की स्थिति में दंड दस लाख रुपए या उससे अधिक का जुर्माना और कम से कम सात वर्ष का कारावास हो सकता है जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

- यह कानून नकली वस्तुओं की मैन्यूफैक्चरिंग, बिक्री, स्टोरिंग, वितरण या आयात के लिए भी दंड लगा सकती है। ये दंड निम्नलिखित हैं: (1) अगर क्षति पहुँची है तो दंड तीन लाख रुपए तक का जुर्माना और एक वर्ष तक का कारावास हो सकता है, (2) अगर गंभीर चोट लगी है तो दंड पाँच लाख तक का जुर्माना और सात वर्ष तक का कारावास हो सकता है, (3) मृत्यु की स्थिति में दंड दस लाख रुपए या उससे अधिक का जुर्माना और कम से कम सात वर्ष का कारावास हो सकता है जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार का अर्थः

आरटीआई (सूचना का अधिकार) का मतलब है कि नागरिक राज्य या केंद्र सरकार के विभागों और कार्यालयों से जानकारी के लिए अनुरोध कर सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी जानकारी के लिए पूछ सकता है, जिसे सार्वजनिक ज्ञान माना जाता है।

लोकतंत्र में जनता ही अपने द्वारा चुने हुए व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है वो इसलिए कि सरकार पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी का पालन करें इसलिए जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि जो सरकार सेवा में है वह क्या कर रही है ।

RTI से आप क्या–क्या कर सकते हैं–

- RTI से आप सरकार से कोई भी सूचना ले सकते हैं।
- RTI से आप किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच कर सकते हैं।
- RTI से आप दस्तावेजों की फोटो कॉपी भी ले सकते हैं।
- RTI से आप सरकारी काम के इस्तेमाल में सामग्री का नमूना भी ले सकते हैं।
- RTI से आप किसी भी सरकारी कामकाज का जॉच कर सकते हैं।

RTI के तहत कैसी जानकारी मांगी जाए? –

इस अधिकार का उपयोग हम किसी भी सरकारी विभाग की राय जानने के लिए नही कर सकते। इसका उपयोग हम तथ्यों की जानकारी पाने के लिए कर सकते है। जैसे, "डिस्पेंसरी में कितनी दवाइयां आती है, पार्क और साफ सफाई में कितना खर्च हुआ,

किसी सरकारी दफ्तर में कितनी नियुक्तियां हुई?" इसके अलावा "सड़क बनाने के लिए कितने पैसे आये और कहा पर खर्च हुए?"

सभी गवर्मेंट डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री, मुख्यमत्री, बिजली कंपनियां, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, राष्ट्रपति, पुलिस, बिजली कंपनियां, RTI Act के अन्दर आते है।

लोगो ने RTI के इस्तेमाल से कई ऐसी जानकारी हासिल की है जिससे उनकी रोजमर्रा की समस्याए सुलझ गई है।

सरकार की सुरक्षा से सम्बंधित जानकारी या गोपनीय जानकारी इस अधिकार के अंतर्गत नही आती।

कैसे प्राप्त करे जानकारी?

हर सरकारी विभाग में जन सुचना अधिकारी होता है। आप अपने आवेदन पत्र उसके पास जमा करवा सकते है। आवेदन पत्र का फॉर्मेट इन्टरनेट से डाउनलोड कर सकते है या फिर एक सफेद कागज पर अपना आवेदन (एप्लीकेशन) लिख सकते है जिसमे जन सुचना अधिकारी आपकी मदद करेगा।

RTI की एप्लीकेशन आप किसी भी भारतीय भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी स्थानीय भाषा में दे सकते हैं अपने आवेदन पत्र की फोटो कॉपी करवा कर जन सुचना अधिकारी से रिसीविंग जरुर ले ले।

कब मिलेगी जानकारी?

आवेदन पत्र डालने के ३० दिन के अन्दर आपको जवाब मिल जाएगा।

यदि ऐसा नही होता है तो आप कार्ट में अपील कर सकते है।

सूचना मांगने के लिए फीस–

किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ 10/– रूपये की फीस है ये फीस गरीबी रेखा से नीचे के लोगो के लिए माफ है।

RTI के दायरे में आने वाले इन सभी विभागो से आप सूचना ले सकते हैः–

- राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के दफ्तर
- संसद और विधानसभा
- निर्वाचन आयोग
- अदालतों
- सरकारी कार्यालय
- सरकारी बैंक
- सभी सरकारी अस्पतालों
- पुलिस विभाग
- बीएसएनएल
- सरकारी स्कूल और कॉलेज
- विद्युत बोर्ड आदि

प्रपत्र–क

(नियम 3 (1) देखें)

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आईत्रडीत्र सं0

(कार्यालय प्रयोग के लिए)

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी

(विभाग/कार्यालय)

1. आवेदक का नाम
2. पूरा पता
3. मॉगी गयी सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में)
4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में मॉगी गयी सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।
5.

(1) मैंने .....रूपये (शब्दों में)..... ..... तिथि..... को रसीद सं..... ..... से विभाग/कार्यालय में भुगतान किया है।

(2) मैं डिमांड ड्राफ्ट/भुगतानादेश सं .....दिनांक..... .....जो.....पदाधिकारी के पक्ष में .....बैंक द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।

(3) मैने .....रूपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (संबद्ध कर दिया) है।

(4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है।

स्थानः

तिथिः

आवेदक का हस्ताक्षर

ई–मेल पता, अगर कोई होः

दूरभाष संख्या (कार्यालय):

(आवास)

आवेदक के पत्राचार का पूरा पताः

नोटः गरीबी रेख से नीचे वाले परिवार को कोई फीस देय नही है।

जो लागू नही है उसे काट दे।

भारत में तलाक के नियम व कानून से जुड़ी जानकारी

तलाक कानूनी कार्रवाई द्वारा विवाह की समाप्ति है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि आधिकारिक तौर पर आपकी शादी खत्म हो रही है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे के जीवन से बाहर जाना चाहता है, तब भी उसके पास उनके साथी के जीवन की जिम्मेदारी बनी रहती है।भारत में, विवाह और तलाक व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते हैं। हिंदुओं, बौद्ध, सिख और जैन के लिये तलाक हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 द्वारा शासित है। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदायों के पास, विवाह और तलाक को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानून हैं। विभिन्न समुदायों और जातियों से संबंधित जोड़ों के लिए, शादी और तलाक विशेष विवाह अधिनियम, 1956 द्वारा शासित होते हैं।

भारत में तलाक की प्रक्रिया या तलाक लेने के नियम

1. आपसी सहमति से तलाक

2. आपसी सहमति के बिना तलाक यानी तलाक का चुनाव किया

ऐसी स्थितियों में जहां पति और पत्नी दोनों शादी समाप्त करना चाहते हैं, वे आपसी सहमति से तलाक का चयन कर सकते हैं। हिंदू विवाह कानून धारा–13 (बी) में कहा गया है कि पार्टियां पारिवारिक अदालत के समक्ष याचिका दायर करके आपसी सहमति से तलाक ले सकती हैं। विवाह को

समाप्त करने के इच्छुक पति–पत्नि को शादी की तारीख से कम से कम एक वर्ष तक इंतजार करना पड़ता है। याचिका एक हलफनामे के रूप में होनी चाहिए और परिवार अदालत में जमा की जानी चाहिए। छह महीने के बाद जोड़े को पारस्परिक सहमति तलाक की पुष्टि करने की दूसरी तिथि के लिए अदालत में फिर से जाना होगा। इस दूसरी तिथि के बाद ही तलाक की डिक्री अदालत द्वारा दी जाती है। तलाक के बिना दूसरी शादी करना सात साल की कारावास के साथ एक दंडनीय अपराध है। याचिका दाखिल करने की तारीख से तलाक 6 महीने से 1 वर्ष के बीच होता है। हालांकि, यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से भिन्न होता है।हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत कोई भी पति या पत्नी कानूनी कार्यवाही के खर्चों के लिए भुगतान पाने का हकदार है। अधिनियम की धारा 25 के तहत, अदालत मासिक भुगतान या पूरे योग के रूप में रखरखाव का भुगतान करने के लिए निर्देश दे सकती है लेकिन यह भुगतान आवेदक के जीवन से अधिक समय के लिए नहीं हो सकती।

मुस्लिमों का कानून–

साथ ही, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 द्वारा मुस्लिम पत्नी को निम्नलिखित आधारों पर तलाक पाने का अधिकार दिया गया है–

1. चार वर्षों से पति के संबंध में कोई जानकारी न हो,
2. पति दो वर्ष से उसका भरण–पोषण (खर्चा) नहीं कर रहा हो,
3. पति सात वर्ष या उससे अधिक से जेल गया हो,
4. किसी समुचित कारण के बिना पति तीन वर्ष से अपने शादी–शुदा खर्चे नहीं कर रहा हो,
5. पति दो वर्ष से पागल हो,
6. पति कुष्ठ रोग या उग्र रति रोग से पीडित हो,
7. पति का व्यवहार क्रूर रहा हो।

विवाह विच्छेद

धारा 13 में दिये गये प्रावधानों एवम आधारों के अनुसार विवाह विच्छेद की डिक्री (न्यायालय द्वारा दिया गया लिखित कागज) दम्पति में से किसी एक के द्वारा जिला न्यायलय में पेश याचिका के आधार पर पारित की जा सकती हैं।धारा 10 तलाक से पहले अलग रखना व तलाक के लिए एक आधार है जिनके अनुसार न्यायलय कानूनी तरह से दोनो को अलग रखता है।

हिन्दू विवाह अधिनियम

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 उन सभी लोगों पर लागू होता है, जो धर्मतः हिन्दू, जैन, बौध्द और सिख हों। या वह सभी व्यक्ति जो हिन्दू विधि से

संचालित होते हैं। हिन्दू उसे माना जाता है, जिसके माता–पिता दोनों ही एक धर्मतः हिन्दू, बौध्द, जैन या सिक्ख हों। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 (3), 1955 में लड़की के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है।

अधिनियम द्वारा अब हिंदू विवाह प्रणाली में निम्नांकित परिवर्तन किए गए हैं :

(1) अब हर हिंदू स्त्रीपुरुष दूसरे हिंदू स्त्रीपुरुष से विवाह कर सकता है, चाहे वह किसी जाति का हो।

(2) एकविवाह तय किया गया है। दूसरी शादी करने पर दण्ड है।

(3) कानूनी रूप से अलग रखना, तलाक तथा विवाह खत्म होने की घोषणा की व्यवस्था की गयी है।

(4) न्यायालयों पर यह कानूनी कर्तव्य नियत किया गया है कि हर वैवाहिक झगड़े में सुलझाने का प्रथम प्रयास करें।

(5) वाद के बीच या तलाक पर खर्चो की व्यवस्था की गयी है।

(6) न्यायालयों को इस बात का अधिकार दे दिया गया है कि अवयस्क बच्चों की देख रेख एवं भरण पोषण (खर्चे) की व्यवस्था करे।

विवाह संबंधी अपराध और कानून

1. **धारा–494**: पति–पत्नी में से किसी एक के द्वारा दूसरे के जीवित रहने के बावजूद दूसरा विवाह करना।
2. **धारा–495:** एक पक्ष द्वारा अपने पिछले विवाह को छुपाकर दोबारा से विवाह करना।
3. **धारा– 496:** लड़का या लड़की द्वारा छलपूर्ण यह विश्वास दिलाना कि उनका विवाह कानूनी मान्य नहीं है।
4. **धारा– 498:** आपराधिक इरादे से किसी पुरुष द्वारा विवाहित स्त्री को फुसलाना।
5. **धारा–498 कः** किसी विवाहित स्त्री पर पति या पति के रिश्तेदारो द्वारा क्रूरतापूर्ण व्यवहार।

Alimony, or spousal support, refers to the obligation of an individual to provide their spouse with financial support after a separation or divorce.

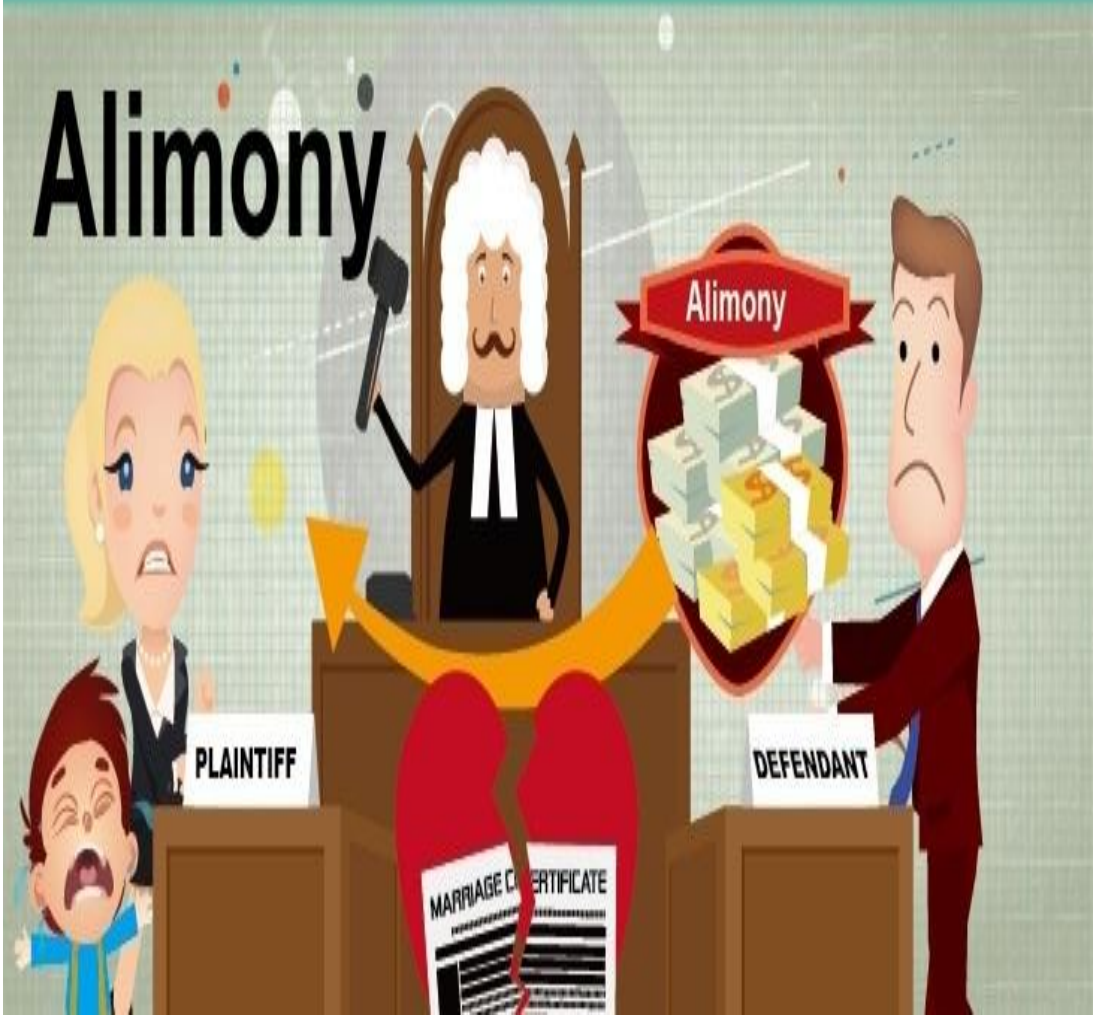

About the Law Academy

IPEM Law Academy (NAAC Accredited) affiliated to Chaudhary Charan Singh University, Meerut and approved by the Bar Council of India, offers LLB (3Yrs) and BALLB (5Yrs) Courses. In the course of their studies, the Students are encouraged to Visit Parliament, Courts, to participate in Workshops, Guest Lectures and Moot Court Competition, Seminars and Other Scholastic and Non-Scholastic Activities. The IPEM Law Academy is located at NH-24 Bypass (near Vijay Nagar, Ghaziabad) adjoining East Delhi, Noida &Greater Noida (West). It is well connected by all modes of public transport also. It has spacious self contained campus spread over five acres of land. The infrastructure and layout of the academy are planned in such a congenial manner that it is learner's paradise.

IPEM Law Academy was established in 2005 to impart legal education as a growing area of knowledge. It is a centre for learning, where full encouragement is given to the scholars to become futuristic in their approach and endorse the qualities of being legal professionals of tomorrow. The Institute provides a good learning environment combined with the teaching pedagogy. The Faculty is highly educated in their respective fields and subjects. There is a regular feedback system in which the students provide the Feedback directly to the governing body. The Campus has congenial ambience, conducive to learning and education and to excel in chosen field.

:: LOCATION MAP ::

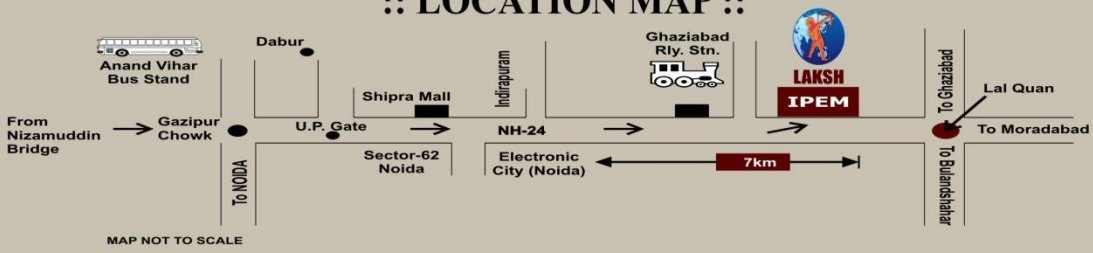

IPEM Law Academy

A-13/1, S.S.G.T. ROAD INDUSTRIAL AREA, NH-24, GHAZIABAD-201010

+91-9910491474/72, Email- info@ipemgzb.ac.in, Website: www.law.ipemgzb.ac.in

LAKSH

Estd. 1996

ipem

Law Academy

25 YEARS

“मोटर वाहन अधिनियम 2019“

“Motor Vehicle Act 2019”

A-13/1, South Side G.T. Road Industrial Area
NH-24 By Pass, Ghaziabad-201010

9910491474

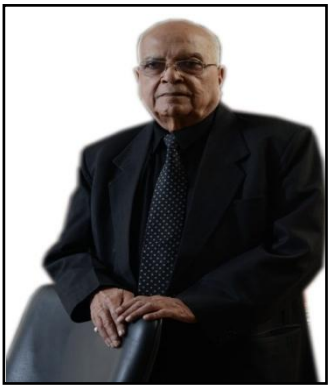

स्वर्गीय डॉ0 बी.एस. गोयल
संस्थापक

आईपीईएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की स्थापना स्वर्गीय डॉ0 बी.एस. गोयल (कार्यकारी निदेशक, आईपीईएम), के द्वारा हुई थी,जो खुद एक महान शिक्षाविद्, परोपकारी और दूरदर्शी थे। डॉ0 गोयल अपने दर्शन, क्रियात्मकता, शैक्षणिक संसाधनों और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए जाने जाते थे। डॉ0 गोयल का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा और ज्ञान का प्रसार करके ही हम भारत को आगे ले जा सकते हैं।

आईपीईएम डॉ0 गोयल के मार्गदर्शनों का अनुसरण करने के लिए जाना जाता है। औद्योगीकरण हमारे सभी शैक्षणिक प्रणालियों के साथ आंतरिक रूप से हस्तक्षेप करता है और अकादमिक कठोरता और अनुभवी हाथों के माध्यम से उम्मीदों को पूरा किया जाता है।

दो दशकों से अधिक के हमारे अनुभवों ने हमें अपने छात्रों को उच्च क्रम की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने व उत्पादों के लिए क्षमता विकसित करने में मदद की है। कॉर्पोरेट दुनिया में अकादमिक गतिविधियों या रोजगार को आगे बढ़ाने के लिये परिवर्तन सहज है। आईपीईएम में हम आपका स्वागत करते हैं और आपको क्रांति का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं।

भारत के मूल कानूनों के बारे में सामान्य जानकारी

1 सितंबर 2019 में देशभर में नया मोटर वाहन कानून लागू हो गया है। सड़क हादसों को कम से कम करने के मकसद से केंद्र सरकार ने 30 साल पुराने मोटर व्हीकल कानून बदलते हुए उसे काफी सख्त बना दिया है। नए कानूनों के तहत किसी भी तरह के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ना केवल वाहन चालकों को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा, बल्कि इसमें उनके लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा नए कानून से परिवहन कार्यालय में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। नए कानून में बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 1 हजार रु की जुर्माने के अलावा 3 महीने तक लायसेंस निलंबन हो जाएगा, वहीं बिना बीमा वाला वाहन चलाने पर 2 हजार रु का जुर्माना लगेगा। ओवरस्पीडिंग पर 1 से 2 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। नाबालिग से दुर्घटना होने पर उसके अभिभावक या वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा, ऐसे में उन पर 25 हजार रु का जुर्माना लगाने के साथ ही उनके लिए 3 साल की सजा और वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का प्रावधान भी किया गया है।

अधिनियम में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से बेहद कठोर प्रावधान रखे गए हैं। इस अधिनियम में केंद्र सरकार के लिये मोटर वाहन दुर्घटना कोष के गठन की बात कही गई है जो भारत में सड़क का उपयोग करने वालों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा।

कानून की प्रमुख बातें

सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजाः केंद्र सरकार 'गोल्डन आवर' के दौरान सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों का कैशलेस उपचार करने की एक योजना विकसित करेगी। अधिनियम के अनुसार, 'गोल्डन आवर' घातक चोट के बाद की एक घंटे की समयावधि होती है जब तत्काल मेडिकल देखभाल से मृत्यु से बचाव की संभावना सबसे अधिक होती है। केंद्र सरकार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंतर्गत मुआवजे का दावा करने वालों को अंतरिम राहत देने के लिये एक योजना भी बना सकती है। इस कानून में हिट एंड रन के मामलों में न्यूनतम मुआवजे को बढ़ा दिया गया हैः

(1) मृत्यु की स्थिति में 25,000 रुपए से बढ़ाकर 2,00,000 रुपए और

(2) गंभीर चोट की स्थिति में 12,500 से बढ़ाकर 50,000 रुपए।

अनिवार्य बीमा: अधिनियम में केंद्र सरकार से मोटर वाहन दुर्घटना कोष बनाने की अपेक्षा की गई है। यह कोष भारत में सड़क का प्रयोग करने वाले सभी लोगों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा। इसे निम्नलिखित स्थितियों के लिये उपयोग किया जाएगा:

- गोल्डन आवर (वह समय जिसमे मरीज को अस्पताल ले जाया जाता है) योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों का उपचार।
- हिट और रन मामलों में मौत का शिकार होने वाले लोगों के प्रतिनिधियों को मुआवजा देना।
- हिट और रन मामलों में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को मुआवजा देना और
- केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये गए व्यक्तियों को मुआवजा देना।

इस कोष में निम्नलिखित के माध्यम से धन जमा कराया जाएगा:

1. उस प्रकृति का भुगतान जिसे केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए,
2. केंद्र सरकार द्वारा अनुदान या ऋण,
3. क्षतिपूर्ति कोष में शेष राशि (हिट और रन मामलों में मुआवजा देने के लिये एक्ट के अंतर्गत गठित मौजूदा कोष) या
4. केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कोई स्रोत।

गुड समैरिटन (मैडिकल मददगार) (Good Samaritan): अधिनियम के अनुसार, गुड समैरिटन वह व्यक्ति है जो दुर्घटना के समय पीड़ित को आपातकालीन मेडिकल या नॉन मेडिकल मदद देता है।

अगर सहायता प्रदान करने में लापरवाही के कारण दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो मदद करने वाला व्यक्ति किसी दीवानी या आपराधिक कार्रवाई के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

अपराध और दंड : अधिनियम में विभिन्न अपराधों के लिये दंड को बढ़ाया गया है। उदाहरण के लिये शराब या ड्रग्स के नशे में वाहन चलाने पर अधिकतम दंड 2,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। अगर मोटर वाहन मैन्युफैक्चरर मोटर वाहनों

के निर्माण या रखरखाव के मानदंडों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक का दंड या एक वर्ष तक का कारावास या दोनों दिये जा सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्टर सड़क के डिजाइन के मानदंडों का अनुपालन नहीं करता तो उसे एक लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। केंद्र सरकार अधिनियम में उल्लेखित जुर्माने को हर साल दस प्रतिशत तक बढ़ा सकती है।

अगर आप सड़क पर वाहन चलाते हैं तो आपके लिए ट्रैफिक नियम को फॉलो करना जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि नियमों का हवाला देकर ट्रैफिक पुलिस आपको परेशान नहीं कर सकती? अगर आपने ट्रैफिक के किसी नियम का उल्लंघन किया या आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तब भी ट्रैफिक पुलिस आपसे गलत व्यवहार नहीं कर सकती। साथ ही आपको अपने अधिकार भी पता होने चाहिए। ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी नहीं छीन सकती, अगर आपकी गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी है तो क्रेन उसे तब तक नहीं उठा सकती, जब तक आप गाड़ी के अंदर बैठे हों। आपकी गाड़ी गलत तरीके और गलत जगह पर पार्क है, तभी गाड़ी उठाई जा सकती है। अगर ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस आपको हिरासत में लेती है तो हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। अगर आपको ट्रैफिक पुलिस परेशान या प्रताड़ित कर रही है तो संबंधित पुलिस थाने में इसकी शिकायत की जा सकती है।

मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 139 में प्रावधान किया गया है कि वाहन चालक को दस्तावेजों को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा, ट्रैफिक पुलिस तत्काल उसका चालान नहीं काट सकती।

अगर ट्रैफिक पुलिस गलत तरीके से आपका चालान काटती है, तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आपको चालान भरना ही पड़ेगा। ट्रैफिक पुलिस का चालान कोर्ट का आदेश नहीं है, इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती ळें

अपराध	पुराना चालान / जुर्माना	नया चालान / जुर्माना
सामान्य	100	500
सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम	100	500
अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना	500	2000
बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग	1000	5000
बिना लाइसेंस के वाहन चलाना	500	5000
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग	500	10000
वाहनों का आवागमन	N/A	5000
अधिक तेजी	400	1000
खतरनाक ड्राइविंग	1000	5000 तक
शराब पी कर गाड़ी चलाना	2000	10000
तेजी / रेसिंग	500	5000
बिना परमिट के वाहन	5,000 तक	10,000 तक
एग्रीगेटर्स (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन)	N/A	25,000 से 1 लाख
ओवरलोडिंग	2,000 – 1,000 प्रति अतिरिक्त टन	20,000 – 2,000 प्रति अतिरिक्त टन
यात्रियों की ओवरलोडिंग	N/A	1,000 प्रति अतिरिक्त यात्री
सीट बेल्ट	100	1,000
दोपहिया वाहनों की ओवरलोडिंग	100	2,000 और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता
हेलमेट	100	1,000 और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता
आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराना	N/A	10,000
बीमा के बिना ड्राइविंग	1,000	2,000
किशोरों द्वारा अपराध	N/A	अभिभावक / मालिक को दोषी माना जाएगा। 3 साल की कैद के साथ 25,000 रुपये का जुर्माना। किशोर पर JJ Act के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

About the Law Academy

IPEM Law Academy (NAAC Accredited) affiliated to Chaudhary Charan Singh University, Meerut and approved by the Bar Council of India, offers LLB (3Yrs) and BALLB (5Yrs) Courses. In the course of their studies, the Students are encouraged to Visit Parliament, Courts, to participate in Workshops, Guest Lectures and Moot Court Competition, Seminars and Other Scholastic and Non-Scholastic Activities. The IPEM Law Academy is located at NH-24 Bypass (near Vijay Nagar, Ghaziabad) adjoining East Delhi, Noida &Greater Noida (West). It is well connected by all modes of public transport also. It has spacious self contained campus spread over five acres of land. The infrastructure and layout of the academy are planned in such a congenial manner that it is learner's paradise.

IPEM Law Academy was established in 2005 to impart legal education as a growing area of knowledge. It is a centre for learning, where full encouragement is given to the scholars to become futuristic in their approach and endorse the qualities of being legal professionals of tomorrow. The Institute provides a good learning environment combined with the teaching pedagogy. The Faculty is highly educated in their respective fields and subjects. There is a regular feedback system in which the students provide the Feedback directly to the governing body. The Campus has congenial ambience, conducive to learning and education and to excel in chosen field.

:: LOCATION MAP ::

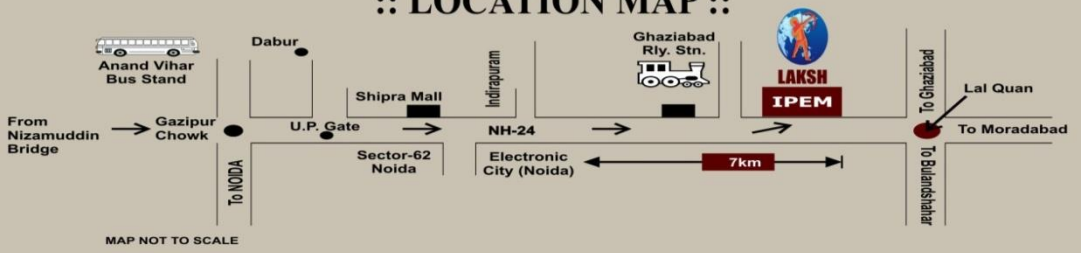

IPEM Law Academy

A-13/1, S.S.G.T. ROAD INDUSTRIAL AREA, NH-24, GHAZIABAD-201010

+91-9910491474/72, Email- info@ipemgzb.ac.in, Website: www.law.ipemgzb.ac.in

LAKSH

Estd. 1996

ipem
Law Academy

25 YEARS

“कामकाजी महिलाओं से संबंधित कानून”

“Laws Related to Working Women”

- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013
  (Sexual Harassment of Women at Work Place Act 2013)
- **महिला और श्रम कानून**
  (Women and Labor Law)
- **भारत में मातृत्व अवकाशः कानून और लाभ**
  (Maternity Leave and Benefits in India)
- **“घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005”**
  “Domestic Violence, Act 2005”
- **“दहेज निषेध अधिनियम, 1961”**
  “Dowry Prohibition, Act, 1961”
- **“स्त्रीधनः संविधान और संरक्षण”**
  “Female Wealth Constitution and Protection”

A-13/1, South Side G.T. Road Industrial Area
NH-24 By Pass, Ghaziabad-201010
9910491474

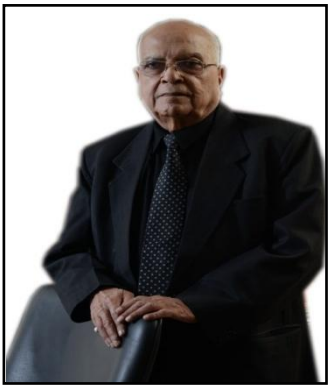

स्वर्गीय डॉ0 बी.एस. गोयल
संस्थापक

आईपीईएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की स्थापना स्वर्गीय डॉ0 बी.एस. गोयल (कार्यकारी निदेशक, आईपीईएम), के द्वारा हुई थी,जो खुद एक महान शिक्षाविद्, परोपकारी और दूरदर्शी थे। डॉ0 गोयल अपने दर्शन, क्रियात्मकता, शैक्षणिक संसाधनों और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए जाने जाते थे। डॉ0 गोयल का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा और ज्ञान का प्रसार करके ही हम भारत को आगे ले जा सकते हैं।

आईपीईएम डॉ0 गोयल के मार्गदर्शनों का अनुसरण करने के लिए जाना जाता है। औद्योगीकरण हमारे सभी शैक्षणिक प्रणालियों के साथ आंतरिक रूप से हस्तक्षेप करता है और अकादमिक कठोरता और अनुभवी हाथों के माध्यम से उम्मीदों को पूरा किया जाता है।

दो दशकों से अधिक के हमारे अनुभवों ने हमें अपने छात्रों को उच्च क्रम की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने व उत्पादों के लिए क्षमता विकसित करने में मदद की है। कॉर्पोरेट दुनिया में अकादमिक गतिविधियों या रोजगार को आगे बढ़ाने के लिये परिवर्तन सहज है। आईपीईएम में हम आपका स्वागत करते हैं और आपको क्रांति का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करते हैं।

कामकाजी महिलाओं से संबंधित कानून

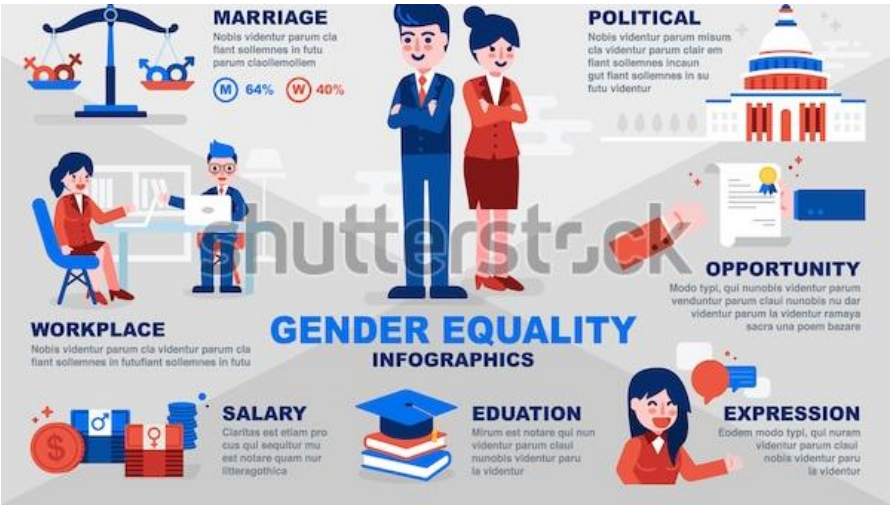

कामकाजी महिलाओं से संबंधित कानून

- कार्यस्थल अधिनियम, 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निषेध
- महिला और श्रम कानून
- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961

कार्यस्थल अधिनियम, 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निषेध नियोक्ताओं के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ

कार्यस्थल अधिनियम, 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निषेध नियोक्ताओं के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ

यह अधिनियम एक शिकायत तंत्र विकसित करने के लिए नियोक्ता की आवश्यकताओं के बारे में एक रूपरेखा प्रदान करता है।

धारा 4 एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की स्थापना को मंजूरी देता है।

ICC में कम से कम शामिल होना चाहिए–

एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी अध्यक्ष के रूप में तथा चार अन्य सदस्य,

कर्मचारियों में से दो सदस्य अधिमानतः सामाजिक कार्य या कानूनी ज्ञान और अनुभव रखते हो, जिनमें से एक महिला हो।

शिकायत प्रक्रिया–

धारा 9 के लिए आवश्यक है कि घटना की तारीख के तीन महीने के भीतर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की जाए।

इसे एक और तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है यदि महिला यह साबित कर सकती है कि गंभीर परिस्थितियों ने उसे पहले शिकायत दर्ज करने से रोक दिया था।

आईसीसी को शिकायत प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होती है। जबकि शिकायत की जांच जारी है, शिकायतकर्ता के लिखित अनुरोध पर, महिला को किसी अन्य कार्यस्थल में स्थानांतरित किया जा सकता है या तीन महीने तक की छुट्टी दी जा सकती है।

कारखानों में कामकाजी महिलाओं के अधिकार

- महिलाओं के दरवाजे के साथ अलग स्नानागर और शौचालय होना चाहिए।
- यदि किसी कारखाने में 30 से अधिक महिला श्रमिक हैं, तो नियोक्ता को श्रमिकों के बच्चों के लिए एक देखभाल के लिये स्थान प्रदान करना चाहिए।
- महिलाओं को निर्धारित वजन से अधिक वजन नही उठाने दिया जायेगा।
- महिलाओं को किसी भी चलती मशीन को साफ करने या तेल बनाने के लिए नहीं कहा जा सकता है।
- महिलाओं को एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है।
- महिलाओं को एक सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए।
- महिलाओं को डयूटी पर 5 घंटे से अधिक समय तक काम करने के लिए नहीं दिया जायेगा।
- महिलाओं को केवल सुबह 6 से शाम 7 बजे के बीच काम करने दिया जायेगा।

- राज्य सरकार दंल कारखाने या समूह या कारखानों के वर्ग को छूट दे सकती है, लेकिन किसी भी महिला को रात 10 बजे से 5 बजे के दौरान काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

- शिफ्ट केवल साप्ताहिक या अन्य अवकाश के बाद बदल सकता है और बीच में नहीं।

नियोक्ता को महिला श्रमिकों को व्यावसायिक सुरक्षा और पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए– 2 वर्ष तक कारावास या 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों।

मृत्यु या गंभीर शारीरिक चोट के कारण गर्भपात –मृत्यु के मामले में 25,000 और गंभीर चोटों के मामले में 5000।

उल्लंघन की निरंतरता– 3 वर्ष तक कारावास या जुर्माना रु 10,000 से कम नहीं या जिसे 2,00,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976–

यदि दो श्रमिक समान काम कर रहे हैं, तो उन्हें समान मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए।

यहां तक कि संविधान के अनुच्छेद 39 में यह भी कहा गया है कि राज्य अपनी नीति को अन्य बातों के अलावा, यह सुनिश्चित करने की दिशा में करेगा कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन हो।

शिकायत कैसे दर्ज करें?

अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए फॉर्म ए में, समान मजदूरी के गैर भुगतान के लिए फॉर्म ए में और अधिनियम के तहत नियुक्त प्राधिकारी

को शिकायत ट्रिपल ए में किया जाना चाहिए। प्राधिकरण दोनों पक्षों को सुनेगा और आवश्यक पूछताछ करने के बाद, वास्तव में भुगतान की गई राशि में अंतर का भुगतान करने और कानून के तहत देय राशि का भुगतान करने या नियोक्ता को कानून के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश देगा।

मूल आदेश के 30 दिनों के भीतर कानून के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित अपीलीय प्राधिकारी को दोनों पक्ष अपील कर सकते हैं।

वैकल्पिक रूप से, अदालत में एक जनहित याचिका दायर की जा सकती है या कानूनी सेवा प्राधिकरण से उचित राहत और कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए संपर्क किया जा सकता है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

Minimum Wages Act 1948

एक व्यक्ति को कम से कम न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए जो कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत सरकार द्वारा तय किया गया है।

प्रत्येक महिला को एक ही तरह के काम के लिए एक पुरुष के समान वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए यानी पुरुष के बराबर और कम नहीं।

यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति सरकार द्वारा निर्धारित कम मजदूरी पर काम करने के लिए सहमत हो जाता है, तो नियोक्ता न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

न्यूनतम मजदूरी तय होनी चाहिएः

- दैनिक आधार पर,
- प्रति घंटा आधार और
- मासिक आधार।

भारत में मातृत्व अवकाश: कानून और लाभ

MATERNITY BENEFIT ACT, 1961
MATERNITY BENEFIT BILL, 2016
12 weeks maternity leave
26 weeks maternity leave
Maternity leave not prior to 6 weeks from due date
Increased to 8 weeks
Creche facility provided

भारत में मातृत्व अवकाश ने वर्तमान परिदृश्य पर विचार करते हुए सुधार किया है जहाँ महिलाएँ किसी भी कार्य में प्रमुख रूप से शामिल हैं। जीवन में गर्भावस्था एक चरण है। कई परिवार गर्भावस्था और प्रसव पर योजना बनाते हैं। हालांकि, गर्भावस्था के दौरान खुशी होती है, पर कामकाजी महिलाओं के लिए, चिंताएं प्रबल होती हैं।

नीचे दिये गये स्थानों पर यह कानून लागू होता है–

कारखानों, निगमों, खानों, बागानों, दुकानों और प्रतिष्ठान और सरकारी प्रतिष्ठानों

योग्य पात्रता (कौन लाभ प्राप्त कर सकता है)

एक महिला कर्मचारी को इस अधिनियम के तहत योग्य होने के लिए, उसे पिछले 12 महीनों में मौजूदा कार्यस्थन में 80 दिनों के लिए काम पूरा करना चाहिए था।

भुगतान

अनुपस्थिति की अवधि के लिए औसत दैनिक मजदूरी के आधार पर वैतनिक अवकाश (वेतन सहित अवकाश) की गणना की जाती है।

अवधि का विस्तार (समय सीमा)

मातृत्व (संशोधन) विधेयक 2017 ने पहले के 12 सप्ताह के अवकाश को 26 सप्ताह तक बढ़ा दिया है। गर्भवती कर्मचारी छुट्टी को प्रसव के पहले और प्रसव के बाद के रूप में बांट सकती है। 8 सप्ताह की छुट्टी प्रसव से पहले और शेष प्रसव के बाद का विकल्प चुन सकती है। तीसरे बच्चे की उम्मीद करने वाली महिलाओं के लिए, आवंटित मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह है।

दत्तक माताओं के लिए मातृत्व अवकाश कानून

मां को बच्चो को गोद लेने के लिए कानून में 12 सप्ताह की छुट्टी है। यह अवकाश गोद लेने के दिन से शुरू होता है और तीन महीने से कम उम्र के बच्चे के लिए लागू होता है।

भारत में माताओं को कमीशन देने के लिए मातृत्व कानून

प्रौद्योगिकी के आगमन ने कई परिवारों को राहत और खुशी दी है जो स्वाभाविक रूप से गर्भ धारण करने में असमर्थ थे। यहां मातृत्व अवकाश कानून में जैविक मां को 12 सप्ताह की छुट्टी दी गई है जो भ्रुण पैदा करने के लिए अपने अंडे देती है जिसे बाद में दूसरी महिला में लगाया जाता है।

गंभीर बीमारी (पोस्ट–मैटरनिटी (प्रसव के बाद))

गर्भावस्था एक जटिल प्रक्रिया है और यह जानलेवा भी हो सकती है। मातृत्व अवकाश संशोधन विधेयक 2017 उन महिलाओं के लिए एक महीने का लाभ प्रदान करता है जो गंभीर परिस्थितियों से पीड़ित हैं जैसे – गर्भावस्था के पूर्व प्रसव, गर्भपात और चिकित्सा समाप्ति।

सरकारी सिविल कर्मचारियों के लिए छुट्टी

महिला सिविल कर्मचारियों को पहले दो जीवित जन्म वाले बच्चों के लिए 180 दिनों के भुगतान की छुट्टी से लाभ होता है।

निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए छुट्टी

प्राइवेट क्षेत्र की महिला कर्मचारियों को अपनी एचआर टीम के साथ मातृत्व अवकाश की नीतियों को सुनिश्चित करना होगा। विभिन्न कंपनियों के लिए छुट्टी और भुगतान प्रावधान अलग–अलग हैं।

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005

इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण का अधिनियम, 2005 है।

- इस कानून में दिये गये फायदो को पूरी तरीके से समझना जरूरी है कि पीड़ित कौन होता है। यदि आप एक महिला हैं और रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति आपके प्रति बुरा व्यवहार करता है तो आप इस कानून के तहत पीड़ित हैं।

- क्योंकि इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को रिश्तदारों के बुरे व्यवहार से बचाना है। इसलिये यह समझना भी जरूरी है कि घरेलू रिश्तेदारी या संबंध क्या है? 'घरेलू रिश्तेदारी' का आशय किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच के उन संबंधों से है, जिसमें वे या तो बड़ा परिवार या कुटुम्ब में एक साथ रहते हैं या पहले कभी रह चुके होते हैं।

नया कानून क्या है?

- सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू संयूक्त परिवार (Hindu Undivided Family&HUF) के संदर्भ में 'संबंध' को निम्नलिखित आधार पर परिभाषित किया है–

- जब दो व्यक्ति विवाह करके साथ रहे चुके हों या फिर साथ रह रहे हों, जब दो व्यक्तियों के संबंध की प्रकृति विवाह की तरह हो और वे एक ही घर में रह रहे हों, कोई दत्तक सदस्य या अन्य सदस्य जो संयुक्त परिवार की भाँति रह रहा हो, उक्त लोगों के बीच जो आपसी सहयोग और तालमेल स्थापित होता है उसे ही संबंध कहते हैं।

पीड़ित महिला कौन है?

घरेलू हिंसा अधिनियम केवल शादीशुदा महिलाओं के लिए नहीं बल्कि किसी भी महिला पर लागू होता है।

बहनें, माता, भाभी, इत्यादि रिश्तों से जुडी महिलाएं भी इस अधिनियम के तहत पीड़ित महिला की परिभाषा में आती हैं।

कोई भी महिला जो किसी भी पुरुष के साथ घरेलू सम्बन्ध में रहती हो या रह चुकी हो और घरेलू हिंसा का शिकार हो वो इस कानून के तहत किसी भी समाधान या राहत की मांग कर सकती है।

अधिनियम के अंतर्गत घरेलू सम्बन्ध का मतलब है कि दो व्यक्ति जो एक ही घर में रहते हो या रह चुके हों और रक्त सम्बन्ध, विवाह या गोद का रिश्ता रखते हों वे घरेलू सम्बन्ध में माने जायेंगे।

संयुक्त परिवार जो एक ही घर में रहता हो वो भी इस परिभाषा के अंतर्गत आएगा।

लिव इन रिलेशनशिप (बिना विवाह के साथ) रहने वाली महिला भी घरेलू हिंसा के खिलाफ इस कानून के अंतर्गत अपने अधिकारों की मांग कर सकती है।

किसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है?

अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित महिला किसी भी व्यस्क पुरुष के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती है जिसके साथ वो घरेलू सम्बन्धमें रही हो या रहती हो।

किसके द्वारा और किसे दर्ज करायी जाये शिकायत?

घरेलू हिंसा की शिकायत का अधिकार केवल पीड़ित महिला को ही नहीं है, पीड़ित महिला की ओर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकता है।

पीड़ित महिला के अलावा उसका कोई भी रिश्तेदार, सामजिक कार्यकर्ता, NGO, पडोसी, इत्यादि भी महिला की ओर से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

शिकायत दर्ज करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि घरेलू हिंसा की घटना हो चुकी हो। अगर किसी को यह लगता है कि किसी महिला के ऊपर घरेलू हिंसा की जा सकती है तो इसकी भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।

इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट http//ncwapps-nic-in/onlinecomplaintsv2/ पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं

इस वेबसाइट पर शिकायत पंजीकरण करने के साथ ही शिकायत की स्थिति भी जांच सकते हैं।

60 दिन में होगा फैसला

लोगों में आम धारणा है कि मामला अदालत में जाने के बाद महीनों लटका रहता है, लेकिन अब नए कानून में मामला निपटाने की समय सीमा तय कर दी गई है। अब मामले का फैसला मैजिस्ट्रेट को साठ दिन के भीतर करना होगा।

घरेलू हिंसा के उदाहरण

(1) शारिरिक हिंसा

1. मारपीट करना
2. थप्पड़ मारना
3. ठोकर मारना
4. दांत से काटना
5. लात मारना
6. मुक्का मारना
7. धकेलना
8. किसी अन्य तरीके से शारीरिक पीड़ा या क्षति पहुँचाना

(2) लैंगिक हिंसा

1. बलात लैंगिक मैथुन
2. अश्लील साहित्य या कोई अन्य अश्लील तस्वीरों को देखने के लिए विवश करना
3. दुर्व्यवहार करने, अपमानित करने, अपमानित या नीचा दिखाने की लैंगिक प्रवृत्ति का कोई अन्य कार्य अथवा जो प्रतिष्ठा का उल्लंघन करता हो या कोई अन्य अस्वीकार्य लैंगिक प्रकति का हो।

(3) मौखिक और भावात्मक हिंसा

1. अपमान
2. गालियॉ देना
3. चरित्र और आचरण पर दोषारोपण
4. पुत्र न होने पर अपमानित करना
5. दहेज इत्यादि न लाने पर अपमान
6. नौकरी करने से निवारित करना
7. नौकरी छोड़ने के लिये दबाव डालना
8. घटनाओं के सामान्य क्रम में किसी व्यक्ति से मिलने से रोकरना
9. विवाह नहीं करने की इच्छा पर विवाह के लिये विवश करना
10. पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से रोकना
11. किसी विशेष व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश करना
12. आत्महत्या करने की धमकी देना
13. कोई अन्य मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार

(4) आर्थिक हिंसा–

1. बच्चों के अनुरक्षण के लिये धन उपलब्ध न कराना।
2. बच्चों के लिए खाना, कपड़े और दवाईयॉ उपलब्ध न कराना।
3. रोजगार चलाने से रोकना अथवा उसमें विघ्न डालना।
4. रोजगार करने की जानकारी न देना।
5. वेतन पारिश्रमिक इत्यादि से आय को ले लेना।
6. वेतन के बारे में जानकारी ना देना।
7. घर से निकलने को विवश करना।

महिला के प्रति हिंसात्मक व्यवहार का वैधानिक स्वरूप और उत्पीड़क व्यक्ति पर वैधानिक सजा का प्रावधान

क्र.	उत्पीडित महिला के साथा हिंसात्मक व्यवहार (स्वरूप)	कानूनी अपराध	कानूनी धारा	अपराधी के प्रति सजा का प्रावधान
1.	मानसिक हिंसा– बेइज्जत करना, ताने देना, गाली–गलौच करना, झूठा आरोप लगाना, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा न करना एवं मायके से न बुलाना इत्यादि हिंसा की धमकी– शारीरिक प्रताड़ना, तलाक एवं मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा न करने की धमकी देना।	पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा मानसिक या शारीरिक कष्ट देना।	498	3 साल
2.	झूठा आरोप लगाना या बेइज्जत करना।		499	2 साल
3.	साधारण शारीरिक हिंसा– चांटा मारना, धक्का देना और छीना झपटी करना।	तामाचा मारना, चोट पहुंचाना	319	3 माह

4.	साधारण शारीरिक हिंसा व लकड़ी या हल्की वस्तु से पीटना, लात मारना, घूंसा मारना, माचिस या सिगरेट से जलाना।	आत्महत्या के लिए दबाव डालना, साधारण या गंभीर हिंसा	306	3 साल
5.	अत्यंत गंभीर हिंसा– गंभीर रूप से पीटना जिससे हड़डी टूटना या खिसकना जैसी घटनाएं शामिल है। गंभीर रूप से जलाना, लोहे की छड़, धारदार वस्तु या भारी वस्तु से वार करना।	गंभीर हिंसा – लोहे की छड़, तेज धार वस्तु का प्रयोग।	232	7 साल

दहेज मुत्यु	304	आजीवन कारावास
महिला की शालीनता भंग करने की मंशा से हिंसा या जबरदस्ती करना।	54	2 साल
अपहरण, भगाना या महिला को शादी के लिये विवश करना।	366	10 साल

नाबालिक लड़की को कब्जे में रखना	366	10 साल
बलात्कार (सरकारी कर्मचारी द्वारा या सामूहिक बलात्कार अधिक गंभीर माने जाते हैं)	376	2–10 वर्ष की उम्र कैद
पहली पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी शादी करना	494	7 साल
व्यभिचार	497	5 साल
महिला की शालीनता को अपमानित करने की मंशा से अपशब्द या अश्लील हरकतें करना	509	1 साल

Uttar Pradesh Women commission (**http://mahilaayog.up.nic.in/**)	0522-2306403 , 18001805220 whatsapp : 6306511708
Uttar Pradesh Sahyog NGO	0522-2341319 , 2310747

WOMEN HELPLINE NUMBERS	
Women Helpline (All India) - Women In Distress	1091
Women Helpline Domestic Abuse	181
Police	100
National Commison For Women (NCW)	011-26942369, 26944754
Delhi Commision For Women	011-23378044 / 23378317 / 23370597
Outer Delhi Helpline	011-27034873 , 27034874
Student / Child Helpline	1098

दहेज निषेध अधिनियम, 1961

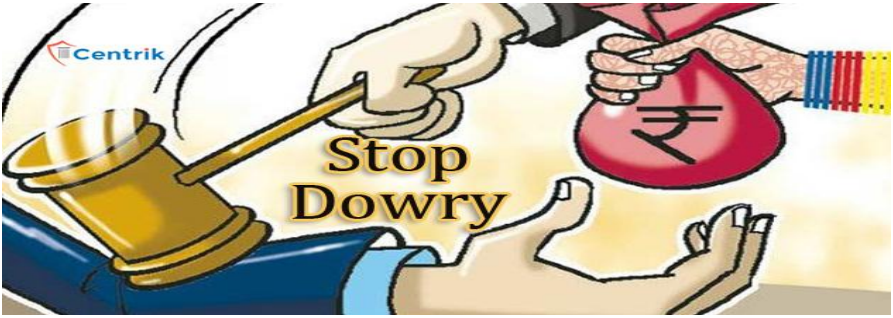

आपराधिक कानून – भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम

दहेज को दंडनीय अपराध के रूप में शामिल करने के लिए भारतीय आपराधिक कानूनों में बड़े पैमाने पर संशोधन किया गया था। धारा 304 बी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (''आईपीसी'') में जोड़ा गया, जिसने दहेज हत्या को 7 साल के कारावास की न्यूनतम सजा और आजीवन कारावास की सजा के साथ एक विशेष अपराध का दंड बना दिया। यह प्रदान करता है कि अगर किसी महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक चोट के कारण होती है या उसकी शादी के 7 साल के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में होती है, और इस बात के सबूत हैं कि उसकी मृत्यु से पहले दहेज की मांग के संबंध मे उसके पति द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था तो पति और रिश्तेदारों को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा।

इसके अलावा, साक्ष्य कानून 1872 (''एविडेंस एक्ट'') की धारा 113 बी दहेज हत्या का एक अतिरिक्त अनुमान बनाता है जब यह दिखाया जाता है कि उसकी मृत्यु से पहले, महिला को दहेज की मांग के कारण क्रूरता के अधीन किया गया था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के साथ धारा 304 बी आईपीसी ने उन कई लोगों को दोषी ठहराया है जो दहेज निषेध अधिनियम, 1961 द्वारा पकड़े नहीं गए थे।

इसके अतिरिक्त, धारा 302 आईपीसी के तहत हत्या का आरोप भी शामिल है क्योंकि इससे अदालत अपराध के अपराधियों को मृत्युदंड देने की अनुमति देती है। धारा 406 आईपीसी, आपराधिक विश्वासघात के अपराधों से संबंधित है, यह दहेज की वसूली के मामलों में लागू होता है।

इसके अलावा, धारा 498–A IPC विशेष रूप से 1983 में महिलाओं को क्रूरता और उत्पीड़न से बचाने के लिए शामिल किया गया था।

संविधान और संरक्षण

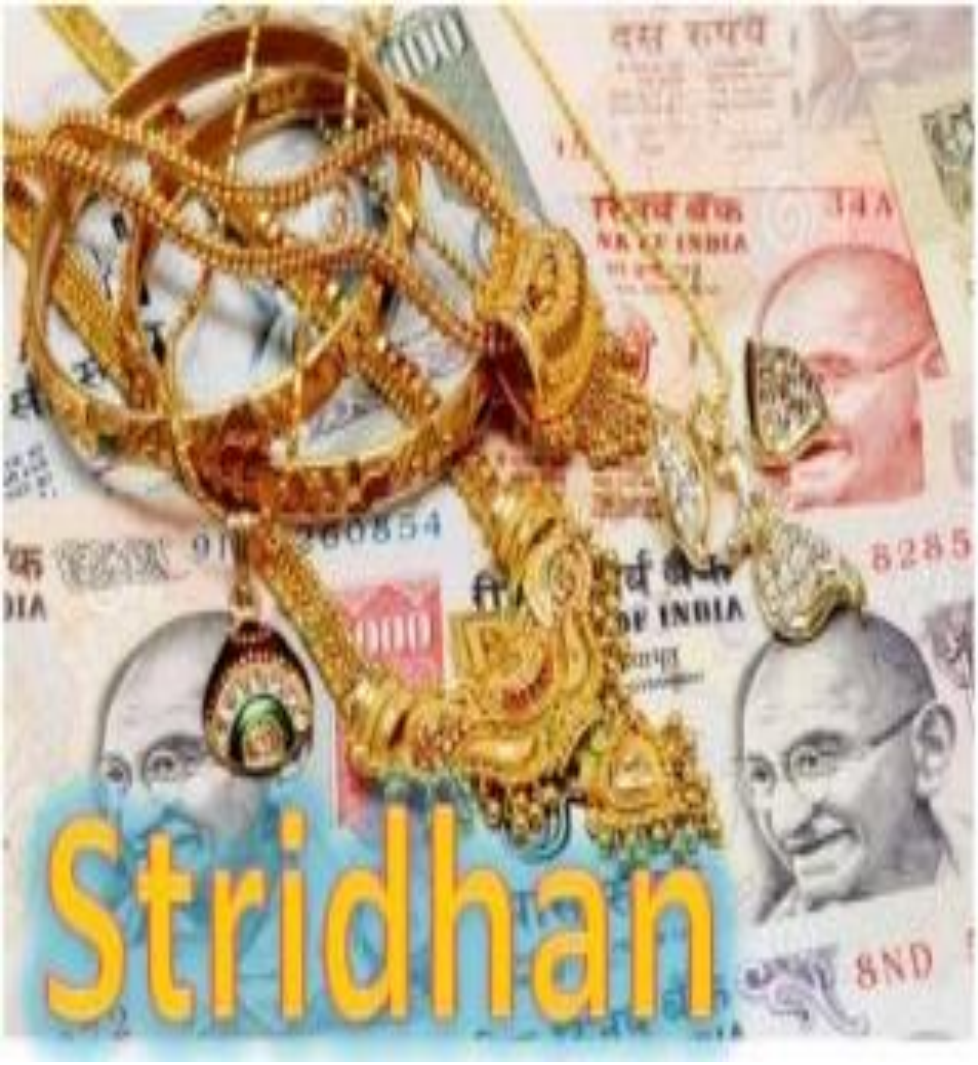

स्त्रीधन

स्त्री का अर्थ है महिला और 'धन' का अर्थ है संपत्ति। संक्षेप में, स्त्रीधन में सभी जंगम (जैसे गहने, घरेलु उपकरण, पैसा) और अचल संपत्ति (जैसे जमीन) शामिल है, जो एक महिला अपने विवाह से पहले या अपनी शादी के बाद अपने संबंधों और गैर–संबंधों से प्राप्त करती है (जो कुछ भी वह अपने जीवनकाल के दौरान प्राप्त करती है)। सामान्य तौर पर, यह उस संपत्ति के रूप में माना जाता है जो शादी के समय प्राप्त होती है (यह दहेज से अलग है जो बल या जबरदस्ती से प्राप्त होता है और अवैध है)।

एक महिला को इसके निपटान या अलगाव पर पूर्ण अधिकार है। यह हिंदू कानून के तहत एक पारंपरिक प्रथा है जो किसी महिला को शत्रुतापूर्ण स्थितियों जैसे तलाक, विधवापन आदि में आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए थी।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, महिला द्वारा प्राप्त निम्नलिखित स्रोतों से एक संपत्ति उसकी पूर्ण संपत्ति है (जब तक कि उपहार, डिक्री, आदेश या पुरस्कार के संदर्भ में उल्लेख नहीं किया जाता है)

संपत्ति का अधिग्रहण–

- वंशानुक्रम द्वारा
- एक विभाजन में
- रखरखाव के बदले में
- उपहार के द्वारा
- व्यक्तिगत कौशल या परिश्रम द्वारा
- अपने स्वयं के धन की सहायता से खरीद और पर्चे
- किसी अन्य तरीके से प्राप्त– एक डिक्री या पुरस्कार के तहत प्राप्त संपत्ति, या प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से

  प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार [1985 AIR 628, 1985 SCR (3) 191] के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्त्रीधन– का गठन करने के लिए निम्नलिखित को सूचीबद्ध किया था।
- तोहफे में फेरो से पहले दिया गया उपहार
- दुल्हन को दिये गये उपहार जब उसे उसके माता–पिता के निवास से उसके पति के घर ले जाया जाता है।
- स्नेह द्वारा दिये गये उपहार, जो कि उसके ससुर और सास के द्वारा दिये जाते है। जब दुल्हन विवाह के समय या उपरान्त रीति–रिवाजों को पूरा करती है।
- दुल्हन के पिता द्वारा दिए गए उपहार।

About the Law Academy

IPEM Law Academy (NAAC Accredited) affiliated to Chaudhary Charan Singh University, Meerut and approved by the Bar Council of India, offers LLB (3Yrs) and BALLB (5Yrs) Courses. In the course of their studies, the Students are encouraged to Visit Parliament, Courts, to participate in Workshops, Guest Lectures and Moot Court Competition, Seminars and Other Scholastic and Non-Scholastic Activities. The IPEM Law Academy is located at NH-24 Bypass (near Vijay Nagar, Ghaziabad) adjoining East Delhi, Noida &Greater Noida (West). It is well connected by all modes of public transport also. It has spacious self contained campus spread over five acres of land. The infrastructure and layout of the academy are planned in such a congenial manner that it is learner's paradise.

IPEM Law Academy was established in 2005 to impart legal education as a growing area of knowledge. It is a centre for learning, where full encouragement is given to the scholars to become futuristic in their approach and endorse the qualities of being legal professionals of tomorrow. The Institute provides a good learning environment combined with the teaching pedagogy. The Faculty is highly educated in their respective fields and subjects. There is a regular feedback system in which the students provide the Feedback directly to the governing body. The Campus has congenial ambience, conducive to learning and education and to excel in chosen field.

:: LOCATION MAP ::

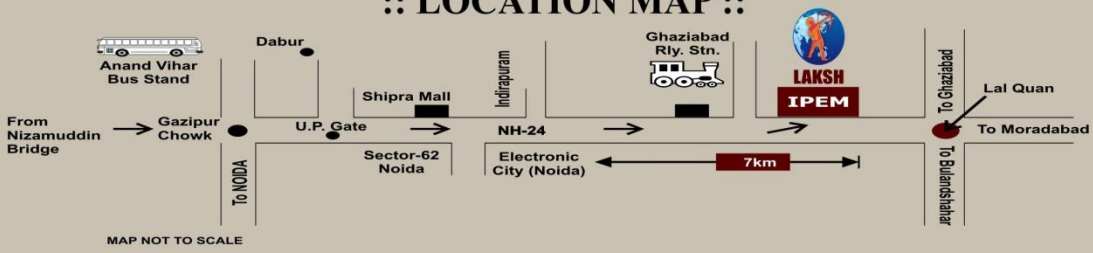

IPEM Law Academy

A-13/1, S.S.G.T. ROAD INDUSTRIAL AREA, NH-24, GHAZIABAD-201010

+91-9910491474/72, Email- info@ipemgzb.ac.in, Website: www.law.ipemgzb.ac.in